हरियाणा विधान सभा

चौदहवीं हरियाणा विधान सभा के 12वें

(फरवरी–मार्च) सत्र, 2023

में हरियाणा विधान सभा

द्वारा

किये गये कार्यों का सार

जिसमें परिशिष्ट दैनिक बुलेटिन भी शामिल हैं।

हरियाणा विधान सभा सचिवालय
चंडीगढ़
फरवरी–मार्च, 2023

प्रस्तावना

निम्नलिखित पृष्ठों में 20 फरवरी, 2023 से 22 मार्च, 2023 तक आयोजित चौदहवीं विधान सभा के बारहवें सत्र के दौरान किए गए कार्यों के साथ सभा की बैठक स्थगित होने के बाद जारी बुलेटिन भी शामिल हैं।

आशा है कि यह प्रकाशन उन सदस्यों और अन्य लोगों द्वारा उपयोगी पाया जाएगा जो उपरोक्त तिथियों को विधान सभा द्वारा किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं।

भविष्य में इस प्रकाशन के और सुधार के लिए किसी भी सुझाव का स्वागत किया जाएगा।

चंडीगढ़ सचिव।
08.05.2023

सामग्री तालिका

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ
1.	मंत्री परिषद आदि के संबंध में विवरण	
2.	पार्टियों की स्थितियों के बारे में विवरण	
3.	हरियाणा विधान सभा का आह्वान, बैठकें और सत्रावसान	
4.	कार्यक्रम का अवलोकन	
5.	समितियां	
6.	राज्यपाल का **संबोधन**	
7.	सभापतियों की सूची	
8.	संदर्भ	
9.	वित्तीय कार्य	
10.	विधायी कार्य	
11.	विधेयकों का सारांश	
12.	प्रस्ताव–	
	(i) सरकारी	
	(ii) गैर सरकारी	
13.	रिपोर्ट प्रस्तुत की गई/रखी गई	
14.	कागज पत्र प्रस्तुत किये गये/रखे गये/पुनः रखे गये	
15.	नियम 66–67 के तहत स्थगन प्रस्ताव	
16.	नियम 73 के तहत ध्यानाकर्षण सूचनाएं	
17.	नियम 73 क के तहत अल्पकालिक चर्चा	
18.	मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्य	
19.	दिये गये भाषणों और उस पर लगने वाले समय का तुलनात्मक विवरण	
20.	प्रश्नों से संबंधित आंकड़ें	
21.	प्रश्नों का विवरण	
22.	तिथिवार दिये गये उत्तर/नहीं रखे गये/स्थगित कर दिये गये तारांकित प्रश्नों का विवरण	
23.	नियम 45(1) के तहत सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के उत्तर की तिथिवार संख्या दर्शाने वाला विवरण	
24.	विभिन्न मंत्रियों के नामों में तारांकित प्रश्नों की संख्या दर्शाने वाला विवरण।	
25.	बहिर्गमन	
26.	परिशिष्ट बुलेटिन (फरवरी–मार्च) सत्र, 2023	

मंत्री परिषद आदि के बारे में वक्तव्य।
31.3.2023 तक

अध्यक्ष

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता

उपाध्यक्ष

श्री रणबीर गंगवा

मुख्यमंत्री

श्री मनोहर लाल

उप मुख्यमंत्री

श्री दुष्यंत चौटाला

मंत्रीगण

1. श्री अनिल विज, गृह मंत्री
2. श्री कंवर पाल, स्कूल शिक्षा मंत्री
3. पंडित मूल चंद शर्मा, परिवहन मंत्री
4. श्री रणजीत सिंह, ऊर्जा मंत्री
5. श्री जय प्रकाश दलाल, कृषि मंत्री
6. डॉ बनवारी लाल, सहकारिता मंत्री
7. डॉ कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री
8. श्री देवेंद्र सिंह बबली, विकास एवं पंचायत मंत्री

राज्य मंत्री

1. डॉ ओम प्रकाश यादव, सैनिक तथा अर्ध सैनिक कल्याण
2. श्रीमती कमलेश ढांडा, महिला एवं बाल विकास
3. श्री अनूप धानक, श्रम
4. सरदार संदीप सिंह, मुद्रण तथा लेखन सामग्री

विधान सभा के सचिव

श्री आर.के. नांदल

हरियाणा विधानसभा में पार्टी की दल वार स्थिति
31.03.2023 तक।

1. माननीय अध्यक्ष	01
2. भारतीय जनता पार्टी	40
3. इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी	30
4. जननायक जनता पार्टी	10
5. इंडियन नेशनल लोक दल	01
6. हरियाणा लोकहित पार्टी	01
7. निर्दलीय	07

	कुल 90

हरियाणा विधान सभा का आह्वान, बैठक और सत्रावसान

राज्यपाल के दिनांक 3 फरवरी, 2023 के आदेश द्वारा चौदहवीं हरियाणा विधान सभा को दिनांक 20 फरवरी, 2023 को हरियाणा विधान सभा, विधान भवन, चण्डीगढ़ के हाल में इसके बारहवें सत्र/अधिवेशन के लिए आहूत किया गया था जो कि दिनांक 22 मार्च, 2023 तक बैठक के अनवरतकाल लिए स्थगित होने तक जारी रहा। बाद में दिनांक 22 मार्च, 2023 को राज्यपाल के आदेश द्वारा इसका सत्रावसान कर दिया गया।

सत्र के दौरान, सभा की 8 बैठकें हुईं, जो कि अपनाया गया कार्यक्रम में देखा जा सकता है।

चौदहवीं हरियाणा विधान सभा द्वारा 20 फरवरी, 2023 से 22 मार्च, 2023 तक आयोजित अपने बारहवें सत्र के दौरान अपनाया गया कार्यक्रम।

दिनांकित	कार्यक्रम
सोमवार, 20 फरवरी, 2023 (प्रातः 11.00 बजे)	**हरियाणा विधानसभा के सदस्यों को राज्यपाल का संबोधन**
सोमवार, 20 फरवरी, 2023 (मध्याह्न पश्चात 12.41 बजे से मध्याह्न पश्चात 1:17 बजे तक)	1. शोक प्रस्ताव (विवरण के लिए शीर्षक 'शोक प्रस्ताब' के अंतर्गत देखें).
	1. अध्यक्ष महोदय द्वारा नेवा पोर्टल के माध्यम से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति सदन की मेज़ पर रखी गई।
	2. कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना।
मंगलवार, 21 फरवरी, 2023 (प्रातः 11.00 बजे से सायं 06:09 बजे तक)	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा।
बुधवार, 22 फरवरी, 2023 (प्रातः 11.00 बजे से सायं 6:39 बजे तक)	1. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान। 2. वर्ष 2022–2023 के लिए अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान। 3. Presentation of Report of Estimates Committee through NeVA Portal. 4. वर्ष 2022–2023 के लिए अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) चर्चा तथा मतदान। 5. नियम–121 के अधीन प्रस्ताव। "संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया – कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध जहां तक कि वेः– (i) लोक लेखा समिति; (ii) प्राक्कलन समिति; (iii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति; तथा (iv) अनुसूचित जातियों, जन–जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2023–2024 के लिए निलंबित किया जाए।

	उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया– कि यह सदन, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों, ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023–2024 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें। *प्रस्ताव रखा गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।* 6. नेवा पोर्टल के माध्यम से हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 पर चयन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
वीरवार, 23 फरवरी, 2023 (प्रातः 11.00 बजे से मध्याह्न–पश्चात 1:15 बजे तक)	वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना।
शुक्रवार, 17 मार्च, 2023 (प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.16 बजे तक)	1. **शोक प्रस्ताव** (विवरण के लिए शीर्षक 'शोक प्रस्ताब' के अंतर्गत देखें) 2. **सरकारी संकल्प** विधानमंडलों की आंतरिक कार्यवाहियों में सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप न करने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करना। (Carried). (For text of the Resolution/Details see heading 'Resolution') (संकल्प/विवरण देखने के लिए 'संकल्प' शीर्षक देखें) **3.** वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदान की मांगों पर विभागीय स्थायी समितियों संबंधी रिपोर्ट्स नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना। (क) वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 1, 2, 3 तथा 4 पर लोक प्रशासन तथा शासन संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट। (ख) वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 5 पर कानून एवं व्यवस्था तथा सुरक्षा संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट। (ग) वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 6 तथा 7 पर वित्त संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट। (घ) वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 10 पर कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट।

	(ड़) वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 11 तथा 16 पर खाद्य एवं सहकारी क्षेत्र संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट। (च) वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 12, 13, 14 तथा 15 पर मानव विकास एवं सामाजिक कल्याण संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट। (छ) वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 17, 18 तथा 19 पर आधारभूत संरचना विकास संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट। (ज) वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 20 पर क्षेत्रीय विकास एवं स्थानीय स्वशासन संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट। **4.** वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा। **5.** विधायी कार्य (क) (पुरःस्थापित, विचार तथा पारित किया जाने वाला विधेयक) हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2023. (ख) (पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक):- 1. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 2. पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2023 **3-** हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2023
सोमवार, 20 मार्च, 2023 (प्रातः 11:00 बजे से सायं 6:10 बजे तक)	1. वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर समान्य चर्चा का पुनरारम्भण। 2. विधायी कार्य (क) (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक) 1. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023. (अगले दिन के आस्थगित) 2. पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2023 3. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2023

	(ख) (पुरःस्थापित किये जाने वाला विधेयक) हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023
मंगलवार, 21 मार्च, 2023 (प्रातः 11.00 बजे से सायं 7.03 बजे तक)	1. वर्ष 2023–24 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनरारम्भ तथा वित्त मंत्री द्वारा उस पर उत्तर देना। 2. वर्ष 2023–24 के लिए बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान। 3. नेवा पोर्टल के माध्यम से विधान सभा समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना।:- (क) वर्ष 2022–23 के लिए लोक लेखा समिति की 86वीं रिपोर्ट। (ख) वर्ष 2022–23 के लिए लोक लेखा समिति की 87वीं रिपोर्ट। (ग) वर्ष 2011–12 से 2018–19 के लिए पंचायती राज संस्थानों तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट पर स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों की समिति तथा निदेशक, स्थानीय लेखा विभाग, हरियाणा द्वारा परीक्षित वर्ष 2015–16 के लिए शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों के खातों पर स्थानीय लेखा विभाग की वार्षिक लेखा परीक्षा की 18वीं रिपोर्ट। (घ) वर्ष 2022–23 के लिए अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति की 46वीं रिपोर्ट। 4. विधायी कार्य (क) (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक) **I.** हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023. (प्रशासनिक कारणों की वजह से वापिस लिया गया) **II.** हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023 (ख) (पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक) 1. हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023

बुधवार, 22 मार्च, 2023 (प्रातः 11.00 बजे से सायं 5:08 बजे तक)	1. नियम 15 के अधीन दिन की कार्यवाही को विधान सभा की बैठक ' नियम के प्रावधानों से अनिश्चितकाल के लिए छूट देने बाबत प्रस्ताव (*स्वीकृत हुआ।*) **2.** विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के संबंध में नियम **16** के तहत प्रस्ताव| (*स्वीकृत हुआ।*) **3.** नेवा पोर्टल के माध्यम से विधान सभा समितियों **के प्रतिवेदन** प्रस्तुत करना। (क) वर्ष 2022–2023 के लिए अधीनस्थ विधान समिति की 50वीं रिपोर्ट। (ख) वर्ष 2022–23 के लिए लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 69वीं रिपोर्ट। (ग) वर्ष 2022–23 के लिए प्राक्कलन समिति की 50वीं रिपोर्ट। (घ) वर्ष 2022–23 के लिए जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)सम्बन्धी विषय समिति की 10वीं रिपोर्ट । (ड़) वर्ष 2022–23 के लिए याचिका समिति की 12वीं रिपोर्ट। (च) वर्ष 2022–23 के लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं विभाग पर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं सम्बन्धी विषय समिति की 8वीं रिपोर्ट। (छ) वर्ष 2022–23 के लिए सरकारी आश्वासनों से सम्बन्धित समिति की 52वीं रिपोर्ट। **4. OFFICIAL RESOLUTION** **सरकारी संकल्प** – Regarding the objection on Levy of water cess by the Government of Himachal Pradesh on the Hydro Power Projects. (Carried) (For text of the Resolution/Details see heading 'Resolution') **3.** विधायी कार्य– (क) (पुरःस्थापित, विचार तथा पारित किया जाने वाला विधेयक) हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023 (ख) (विचार तथा पारित किया जाने वाला विधेयक) हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023.

समितियां

(i) कार्य सलाहकार समिति

[नियम 33 (1) और (3)] के तहत 10 जनवरी, 2020 को नामांकित]

दिनांक 16.02.2023 को हुई समिति की बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:-

1. श्री ज्ञानचंद गुप्ता, माननीय अध्यक्ष	**पदेन अध्यक्ष**
2. श्री मनोहर लाल, माननीय मुख्यमंत्री	**सदस्य**
3. श्री दुष्यंत चौटाला, माननीय उपमुख्यमंत्री	**सदस्य**
4. श्री अनिल विज, माननीय गृह मंत्री	**सदस्य**
5. श्री कंवर पाल, माननीय संसदीय कार्य मंत्री	**सदस्य**
6. श्री रणबीर गंगवा, माननीय उपाध्यक्ष	सदस्य
7. श्री भारत भूषण बत्रा, विधायक	सदस्य

(ii) लोक लेखा समिति

माननीय अध्यक्ष महोदय ने वर्ष 2022-23 के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों को नामित करने के लिए दिनांक 04 मार्च, 2022 को सदन में हुई हरियाणा विधान सभा की बैठक में पारित किए गये प्रस्ताव द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, वर्ष 2022-23 के लिए लोक लेखा समिति के लिए दिनांक 20 अप्रैल, 2022 को निम्नलिखित चेयरपर्सन/ सदस्यों को नामित किया है :-

1.	श्री वरुण चौधरी, विधायक	चेयरपर्सन
2.	डॉ. अभय सिंह यादव, विधायक	सदस्य
3.	श्री नरेंद्र गुप्ता, विधायक	सदस्य
4.	श्रीमती निर्मल रानी, विधायक	सदस्य
5.	श्री अमित सिहाग, विधायक	सदस्य
6.	श्रीमती शैली, विधायक	सदस्य
7.	श्री जोगी राम सिहाग, विधायक	सदस्य
8.	श्री रणधीर सिंह गो**ल**न, विधायक	सदस्य
9.	श्री भव्य बिश्नोई, विधायक	सदस्य

(iii) प्राक्कलन समिति

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिंनाक 20 अप्रैल, 2022 को निम्नलिखित समिति अध्यक्ष/सदस्यों को हरियाणा विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 233(2) के तहत वर्ष 2022-2023 के लिए प्राक्कलन समिति में कार्य करने के लिए नामित किया गया है : -

1. श्री हरविंदर कल्याण, विधायक	समिति अध्यक्ष
2. राव दान सिंह, विधायक	सदस्य
3. श्री जयवीर सिंह, विधायक	सदस्य
4. श्री गोपाल कांडा, विधायक	सदस्य
5. श्री प्रमोद कुमार विज, विधायक	सदस्य
6. श्री राजेश नागर, विधायक	सदस्य
7. श्री मेवा सिंह, विधायक	सदस्य
8. श्री बलराज कुंडू, विधायक	सदस्य
9. श्री सुभाष सुधा, विधायक	सदस्य

(iv) सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा 20 अप्रैल, 2022 को निम्नलिखित अध्यक्ष/सदस्यों को हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 235 के तहत वर्ष 2022-23 के लिए सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति में सेवा देने के लिए नामित किया गया है|

1. श्री असीम गोयल, विधायक	सभापति
2. श्री दुडा राम, विधायक	सदस्य
3. श्री प्रदीप चौधरी, विधायक	सदस्य
4. डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा, विधायक	सदस्य
5. श्री मोहन लाल बडोली, विधायक	सदस्य
6. श्री सीता राम यादव, विधायक	सदस्य
7. श्री चिरंजीव राव, विधायक	सदस्य
8. श्री कुलदीप वत्स, विधायक	सदस्य
9. श्री नीरज शर्मा, विधायक	सदस्य

(v) नियम समिति

(20 अप्रैल, 2022 को नामांकित)

1. श्री ज्ञान चन्द गुप्ता, अध्यक्ष	पदेन चेयरपर्सन
2. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, विधायक	सदस्य
3. श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	सदस्य
4. श्री घनश्याम दास अरोड़ा, विधायक	सदस्य
5. डॉ॰ अभय सिंह यादव, विधायक	सदस्य
6. श्री भारत भूषण, बत्रा विधायक	सदस्य
7. श्रीमती नैना सिंह चौटाला, विधायक	सदस्य
8. श्री सुधीर कुमार सिंगला, विधायक	सदस्य

समिति का गठन हरियाणा विधानसभा सचिवालय अधिसूचना संख्या एचवीएस-एलए-83/2022/38, दिनांक 20 अप्रैल, 2022 द्वारा किया गया था।

(v) (a) हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 पर प्रवर समिति

1.	श्री रणबीर गंगवा, उपाध्यक्ष	सभापति
2.	श्री अनिल विज, गृह मंत्री (विधेयक प्रभारी मंत्री)	सदस्य
3.	श्री हरविन्द्र कल्याण, विधायक	सदस्य
4.	श्री महिपाल ढांडा, विधायक	सदस्य
5.	श्री सुभाष सुधा, विधायक	सदस्य
6.	श्री सत्य प्रकाश, विधायक	सदस्य
7.	श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक	सदस्य
8.	श्री आफ़ताब अहमद, विधायक	सदस्य
9.	श्री वरुण चौधरी, विधायक	सदस्य
10.	श्री ईश्वर सिंह, विधायक	सदस्य
11.	श्री सोमबीर सांगवान, विधायक	सदस्य

समिति का गठन हरियाणा विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या एचवीएस-एलए-123/2022/80, दिनांक 9 सितंबर, 2022 द्वारा किया गया था।

(vi) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

वर्ष 2022-2023 के लिए सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्यों को नियम 244 (1) के तहत माननीय अध्यक्ष द्वारा 20 अप्रैल, 2022 को मनोनीत किया गया।

1.	श्री भारत भूषण बत्रा, विधायक	सभापति
2.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	सदस्य
3.	श्री राजेन्द्र सिंह जून, विधायक	सदस्य
4.	श्री दुड़ा राम, विधायक	सदस्य
5.	श्री महिपाल ढांडा, विधायक	सदस्य
6.	श्री आफताब अहमद, विधायक	सदस्य
7.	श्री सीता राम यादव, विधायक	सदस्य
8.	श्री सुभाष गांगोली, विधायक	सदस्य
9.	श्री अमरजीत ढांडा, विधायक	सदस्य
*10.	श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक	विशेष आमंत्रित

---

*श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक को माननीय अध्यक्ष द्वारा सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति में विशेष आमंत्रित के पद पर कार्य करने हेतु दिनांक 17 जनवरी, 2023 को वर्ष 2022-2023 की शेष अवधि के लिए मनोनीत किया गया।

(VI) (a) डबुआ सब्जी मंडी, फरीदाबाद में फड़ों (विक्रेताओं) के आवंटन में कथित घोटाले के मामले की जांच करने के लिए समिति माननीय अध्यक्ष द्वारा 30 जून, 2021 को मनोनीत की गई।

1.	श्री घनश्याम दास अरोड़ा, विधायक	संयोजक
2.	श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक	सदस्य
3.	श्री दीपक मंगला, विधायक	सदस्य
4.	श्री नरेन्द्र गुप्ता, विधायक	सदस्य

(vii) अधीनस्थ विधान समिति

समिति 20.04.2022 से गठित की गई थी। हरियाणा विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना सं. एचवीएस-एसएलसी-1/2022-23/39, दिनांक 20 अप्रैल, 2022.

1. श्री राम निवास, विधायक	चेयरपर्सन
2. श्री जगबीर सिंह, विधायक	सदस्य
3. श्री जयवीर सिंह, विधायक	सदस्य
4. श्री बिसम्बर सिंह, विधायक	सदस्य
5. श्री संजय सिंह, विधायक	सदस्य
6. श्री राम कुमार कश्यप, विधायक	सदस्य
7. श्री अमित सिहाग, विधायक	सदस्य
8. श्री बलबीर सिंह, विधायक	सदस्य
9. **श्री इन्दुराज, विधायक	सदस्य
10. महाधिवक्ता, हरियाणा	सदस्य

विशेष आमंत्रित

***श्री लक्ष्मण सिंह यादव, विधायक

---

*श्री संजय सिंह, विधायक ने समिति की सदस्यता से दिनांक 10.05.2022 से त्यागपत्र दिया। अधिसूचना संख्या एचवीएस-एसएलसी-1/2022-23/53, के द्वारा दिनांक 11.05.2022.

**श्री इंदुराज, विधायक को अधिसूचना संख्या HVS-SLC-1/2022-23/54, दिनांक 11.05.2022 के द्वारा दिनांक 11.05.2022 को समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया।

***श्री लक्ष्मण सिंह यादव, विधायक को अधिसूचना संख्या HVS-SLC-1/2022-23/60 दिनांक 11.07.2022 के द्वारा दिनांक 11.07.2022 को समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया गया।

(viii) आवास समिति

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा 20 अप्रैल, 2022 को निम्नलिखित समिति अध्यक्ष/सदस्यों को हरियाणा विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 265 के तहत वर्ष 2022-2023 के लिए आवास समिति में कार्य करने के लिए नामित किया गया है :-

1. श्री रणबीर गंगवा, माननीय उपाध्यक्ष	पदेन सभापति
2. मो .इलियास, विधायक	सदस्य
3. श्री राम कुमार गौतम, विधायक	सदस्य
4. श्री दीपक मंगला, विधायक	सदस्य
5. श्री रणधीर सिंह गोलन, विधायक	सदस्य

(ix) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछडे. वर्गों के कल्याण सम्बन्धी समिति

हरियाणा विधान सभा सचिवालय के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 121 के अनुसार सदन द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2022 को पारित प्रस्ताव के माध्यम से वर्ष 2022–2023 के लिए विभिन्न दलो/समूहो की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछडे. वर्गों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्यों को नामांकित करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया गया था। तत्पश्चात्, माननीय अध्यक्ष महोदय ने हरियाणा विधान सभा सचिवालय के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 266 के अन्तगर्त (आज तक संशोधित) वर्ष 2022–23 के लिए, दिनांक 20.04.2022 को समिति के नौ सदस्यों को नामांकित किया और उनमें से समिति के सभापति की नियुक्ति भी की गई, जो इस प्रकार हैः–

1. श्री ईश्वर सिंह, विधायक,	सभापति
2. श्री लक्ष्मण नापा, विधायक	सदस्य
3. श्री राजेश नागर, विधायक,	सदस्य
4. श्री सत्य प्रकाश, विधायक,	सदस्य
5. श्रीमति रेणु बाला, विधायक	सदस्य
6. श्री शीशपाल सिंह, विधायक	सदस्य
7. श्री चिरंजीव राव, विधायक	सदस्य
8. श्री राम करण, विधायक	सदस्य
9. श्री धर्मपाल गोंदर, विधायक	सदस्य

उपरोक्त समिति का गठन 20.04.2022 को हरियाणा विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या एचवीएस/एससी/एसटी/बीसी/01/2022–2023/41, दिनांक 20.04.2022.

....

(x) विशेषाधिकार समिति

हरियाणा विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 286 (1) के तहत माननीय अध्यक्ष द्वारा 20 अप्रैल 2022 को विशेषाधिकार समिति का गठन किया गया था। 29.12.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के दौरान विशेषाधिकार समिति में निम्नलिखित अध्यक्ष/सदस्य हैं:-

1.	श्री सुधीर सिंगला, विधायक	अध्यक्ष
2	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	सदस्य
3.	श्री हरविंदर कल्याण, विधायक	सदस्य
4.	श्री मोहन लाल बडोली, विधायक	सदस्य
5.	श्री वरुण चौधरी, विधायक	सदस्य
6.	श्री अमरजीत ढांडा, विधायक	सदस्य
7.	श्री विनोद भयाना, विधायक	सदस्य
8.	श्री कुलदीप वत्स, विधायक	सदस्य

(x)(a) हरियाणा विधानसभा के सदस्यों के साथ सरकारी आधिकारियो द्वारा नयाचार प्रतिमान का उल्लंघन और अवमाननापूर्ण व्यवहार संबंधी समिति।

हरियाणा विधानसभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 204 के तहत हरियाणा विधानसभा के सदस्यों के साथ सरकारी आधिकारियो द्वारा नयाचार प्रतिमान का उल्लंघन और अवमाननापूर्ण व्यवहार संबंधी समिति में सेवा देने के लिए माननीय अध्यक्ष द्वारा 22 जून, 2022 को निम्नलिखित अध्यक्ष/सदस्यों को नामित किया गया है:-

1.	श्री असीम गोयल, विधायक	अध्यक्ष
2.	श्री भारत भूषण बत्रा, विधायक	सदस्य
3.	श्री प्रमोद कुमार विज, विधायक	सदस्य
4.	श्री मोहन लाल बडोली, विधायक	सदस्य
5.	श्री जोगी राम सिहाग, विधायक	सदस्य
6.	श्री नरेंद्र गुप्ता, विधायक	सदस्य
7.	श्री नयन पाल रावत, विधायक	सदस्य
8.	श्रीमती रेणु बाला, विधायक	सदस्य

(xi) याचिका समिति

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 268 के तहत वर्ष 2022–23 के लिए याचिका समिति में कार्य करने के लिए निम्नलिखित सभापति/सदस्यों को दिनांक 20 अप्रैल, 2022 को नामित किया गया।

1.	श्री घनश्याम दास अरोड़ा, विधायक	सभापति
2.	श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक	सदस्य
3.	श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक	सदस्य
4.	श्रीमती शकुंतला खटक, विधायक	सदस्य
5.	श्री लीला राम, विधायक	सदस्य
6.	श्री लक्ष्मण सिंह यादव, विधायक	सदस्य
7.	श्री संजय सिंह, विधायक	सदस्य
8.	श्री राम निवास, विधायक	सदस्य
9.	श्री सोमबीर सांगवान, विधायक	सदस्य
10.	श्री राम कुमार कश्यप, विधायक	विशेष आमंत्रित

....

(xii) स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों से संबंधित समिति

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 20.04.2022 को हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 272(1) के तहत वर्ष 2022-2023 के लिए स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समिति में कार्य करने के लिए निम्नलिखित अध्यक्ष/सदस्यों को मनोनीत किया गया है:-

1.	श्री नरेन्द्र गुप्ता, विधायक	अध्यक्ष
2.	श्री घनश्याम सर्राफ, विधायक	सदस्य
3.	श्री बिशन लाल सैनी, विधायक	सदस्य
4.	श्रीमती सीमा त्रिखा, विधायक	सदस्य
5.	श्री बिसम्बर सिंह विधायक	सदस्य
6.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	सदस्य
7.	श्री सुरेंद्र पंवार, विधायक	सदस्य
8.	श्री राकेश दौलताबाद, विधायक	सदस्य
9.	श्री दुडा राम, विधायक	सदस्य
10.	श्री मामन खान, विधायक,	विशेष आमंत्रित
11.	श्री जगदीश नायर, विधायक	विशेष आमंत्रित

(xiii) जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन तथा सडकें)

हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 274 (1) के तहत वर्ष 2022-2023 के लिए जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण(भवन तथा सडकें)सम्बन्धी विषय समिति के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 20 अप्रैल, 2022 को निम्नलिखित अध्यक्ष/सदस्यों को नामित किया गया है:-

1. श्री दीपक मंगला, विधायक	चेयरपर्सन
2. श्री विनोद भ्याना, विधायक	सदस्य
3. श्री लीला राम, विधायक	सदस्य
4 श्री आफताब अहमद, विधायक	सदस्य
5. श्री धर्म सिंह छोकर, विधायक	सदस्य
6. डॉ कृष्ण लाल मिड्ढा, विधायक	सदस्य
7. श्री प्रवीण डागर, विधायक	सदस्य
8. श्री मम्मन खान, विधायक.	सदस्य
9. श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक	सदस्य
10. श्री संजय सिंह, विधायक	विशेष आमंत्रित
11. श्री सत्य प्रकाश जरावता, विधायक	विशेष आमंत्रित

(xiv) शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विषय समिति।

माननीय अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा ने नियम 279 के तहत वर्ष 2022-2023 की अवधि के लिए शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर विषय समिति में कार्य करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को नामित किया है

अधिसूचना सं. एचवीएस/ईएंडएच/1/2021-2022/45 आदेश दिनांक 20 अप्रैल, 2022.

1. श्रीमती सीमा त्रिखा, विधायक	अध्यक्ष
2. श्री जगदीश नैयर, विधायक	सदस्य
3. श्रीमती नैना सिंह चौटाला, विधायक	सदस्य
4. श्रीमती निर्मल रानी, विधायक	सदस्य
5. श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक	सदस्य
6. श्रीमती शैली, विधायक	सदस्य
7. श्री शीशपाल सिंह विधायक	सदस्य
8. श्री नयन पाल रावत, विधायक	सदस्य
9. श्री इंदु राज, विधायक	सदस्य
10. मो. इलियास, विधायक	विशेष आमंत्रित
11. श्री भव्य बिश्नोई, विधायक	विशेष आमंत्रित

राज्यपाल का संबोधन

राज्यपाल ने सोमवार दिनांक 20 फरवरी, 2023 पूर्वाह्न 11:00 बजे विधान सभा को संबोधित किया अध्यक्ष ने तथ्य की सूचना दी और 20 फरवरी, 2023 को दोपहर 12:41 बजे सभा की बैठक में अभिभाषण की एक प्रति रखी।

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 21 फरवरी, 2023 श्री असीम गोयल, विधायक द्वारा पेश किया गया

और श्री ईश्वर सिंह, विधायक द्वारा अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव पर हुई चर्चा:-

21 फरवरी, 2023 को 197 मिनट के लिए (सत्ता पक्ष 91 मिनट, विपक्ष 83 मिनट और निर्दलीय 23 मिनट)

22 फरवरी, 2023 को 203 मिनट के लिए (सत्ता पक्ष 152 मिनट और विपक्ष 51 मिनट)

चर्चा में 43 सदस्यों ने भाग लिया, मुख्यमंत्री सहित सत्ता पक्ष के तेईस सदस्यों ने 243 मिनट तक, विपक्ष के सत्रह सदस्यों ने 134 मिनट तक और तीन निर्दलीय सदस्यों ने 23 मिनट तक भाषण दिया।

यह प्रस्ताव 21 फरवरी, 2023 को सदन के समक्ष रखा गया और स्वीकृत हुआ।

धन्यवाद प्रस्ताव, जैसा कि सदन द्वारा पारित किया गया था अध्यक्ष द्वारा 22 फरवरी, 2023 को राज्यपाल को सूचित किया गया।

चेयरपर्सनज के नामों की सूची

माननीय अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 10 फरवरी, 2023 को हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 13(1) के तहत फरवरी–मार्च सत्र, 2023 के लिए चेयरपर्सनज के नामों की सूची में निम्नलिखित सदस्यों को नामांकित किया है:–

1. श्री असीम गोयल नन्यौला, विधायक
2. श्रीमती सीमा त्रिखा, विधायक
3. श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक
4. श्री रणधीर सिंह गोलन, विधायक

शोक प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने 20 मार्च, 2023 को स्वर्गीयः–

1. श्री जगदीश नेहरा, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री;
2. श्री वेद पाल, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष;
3. श्री धर्मबीर गाबा, हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री;
4. श्री भगवान सहाय रावत, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
5. चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
6. श्री जगराम, स्वतंत्रता सेनानी;
7. हरियाणा के शहीद;
8. अन्य।

के देहावसान का उल्लेख किया तथा भाषण दिया।

प्रतिपक्ष के नेता, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, ने भाषण दिया।

अध्यक्ष महोदय ने भी सदन में अभिव्यक्त की गई भावनाओं के साथ अपने आप को सम्मिलित किया तथा 1 मिनट भाषण दिया और सुझाव दिया कि हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री नरेन्द्र गुप्ता के चाचा श्री सुरेश चन्द गुप्ता जिनका निधन इन्हीं दिनों हुआ है, का नाम भी उक्त सूची में सम्मिलित किया जाए तथा इस पर सहमति हुई।

मुख्यमंत्री ने 17 मार्च, 2023 को स्वर्गीयः–

1. श्री भूपिन्दर चौधरी, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
2. श्री सतीश कौशिक, प्रसिद्ध अभिनेता;
3. हरियाणा के शहीद;
4. अन्य।

के देहावसान का उल्लेख किया तथा भाषण दिया।

प्रतिपक्ष के नेता, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, ने भाषण दिया।

अध्यक्ष महोदय ने भी सदन में अभिव्यक्त की गई भावनाओं के साथ अपने आप को सम्मिलित किया तथा भाषण दिया।

यह निश्चय किया गया कि शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजे जाएं।

दिवंगतों की पुण्य–स्मृति के प्रति सम्मान के रूप में सभा ने खड़े होकर कुछ समय के लिए मौन धारण किया।

विधान सभा की ओर से शोक एवं सहानुभूति का संदेश निम्नानुसार भेजा गया:-

क्र.सं.	**मृतक का नाम**	**उस व्यक्ति/प्राधिकारी का नाम जिसे शोक संदेश भेजा गया**
1.	श्री जगदीश नेहरा, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री	श्रीमती लिछमा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री जगदीश नेहरा, नेहरा निवास, पुरानी कछहरी रोड, पटवार भवन के नजदीक, सिरसा।
2.	श्री वेद पाल, हरियाणा विधान सभा के पूर्व उपाध्यक्ष	अधिवक्ता श्री विजय पाल पुत्र स्वर्गीय श्री वेद पाल, आर-377, मॉडल टाउन, करनाल
3.	श्री धर्मबीर गाबा, पूर्व राज्य मंत्री	श्री अनिल गाबा पुत्र स्वर्गीय श्री धर्मबीर गाबा, मकान नंबर 599, सेक्टर-15, पार्ट-1, गुरुग्राम
4.	श्री भगवान सहाय रावत, हरियाणा विधान सभा के पूर्व सदस्य	श्री बृजेश पुत्र स्वर्गीय श्री भगवान सहाय रावत, गाँव बहिन, जिला पलवल
5.	चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल, हरियाणा विधानसभा के पूर्व सदस्य	श्री सतीश कुमार पुत्र स्वर्गीय चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल, गाँव बामला, जिला भिवानी
6.	श्री भूपेंद्र चौधरी, हरियाणा विधानसभा के पूर्व सदस्य	श्री यश चौधरी पुत्र स्वर्गीय भूपिंदर चौधरी, एच.एन.ओ. 1083, सेक्टर-4, गुरुग्राम
7.	श्री सतीश कौशिक, एक प्रसिद्ध अभिनेता	श्रीमती। शशि कौशिक पत्नी स्वर्गीय श्री सतीश कौशिक, 501, श्री कृष्णा टावर, अंधेरी वेस्ट, लक्ष्मी औद्योगिक लिंक रोड के सामने, मुंबई -400053

2.	**हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी**	
(i)	श्री जगराम, गाँव माछगर, जिला फरीदाबाद।	श्रीमती बोहती देवी पत्नी स्वर्गीय श्री जगराम, गाँव माछगर, जिला फरीदाबाद
3.	हरियाणा के शहीद	
i.	सूबेदार महेंद्र कुमार, गाँव पैगा, जिला महेंद्रगढ़।	श्रीमती गंगा देवी पत्नी स्वर्गीय सूबेदार महेंद्र कुमार, गाँव पैगा, जिला महेंद्रगढ़।
ii.	सूबेदार राजेश कुमार, ग्राम लक्ष्मण पुरा, जिला भिवानी।	श्रीमती सुनीता देवी पत्नी स्वर्गीय सूबेदार राजेश कुमार, गाँव लक्ष्मण पुरा, जिला भिवानी।
iii.	हवलदार जोगेंद्र सिंह, गाँव सुनारियां खुर्द, जिला रोहतक।	श्रीमती सुशीला पत्नी स्वर्गीय हवलदार जोगेन्द्र सिंह, गाँव सुनारियां खुर्द, जिला रोहतक।
iv.	हवलदार अशोक कुमार, गाँव कोटिया, जिला महेंद्रगढ़।	श्रीमती ललिता देवी पत्नी स्वर्गीय हवलदार अशोक कुमार, गाँव कोटिया, जिला महेंद्रगढ़।
v.	हवलदार नरेंद्र सिंह, ग्राम शादत नगर, जिला रेवाड़ी।	श्रीमती गीता देवी पत्नी स्वर्गीय हवलदार नरेंद्र सिंह, गाँव शादत नगर, जिला रेवाड़ी।
vi.	जे.सी.ओ. प्रमोद कुमार, गाँव बहादुरगढ़, जिला जींद।	श्रीमती कविता देवी पत्नी स्वर्गीय जे.सी.ओ. प्रमोद कुमार, गाँव बहादुरगढ़, जिला जींद।
vii.	लीडिंग सीमैन अमित श्योराण, गाँव बेरला, जिला चरखी दादरी।	श्रीमती मुकेश देवी पत्नी दिवंगत लीडिंग सीमैन अमित श्योराण, गाँव बेरला, जिला चरखी दादरी।
viii.	नायक राज सिंह, गाँव ससरौली, जिला झज्जर।	श्रीमती मंजू देवी पत्नी स्वर्गीय नायक राज सिंह, गाँव ससरौली, जिला झज्जर।
ix.	नायक संदीप यादव, गाँव जीतपुरा, जिला हिसार।	श्रीमती ज्योति पत्नी स्वर्गीय नायक संदीप यादव, गाँव जीतपुरा, जिला हिसार।
x.	नायक अरुण कुमार, गाँव ककराला, जिला महेंद्रगढ़।	श्रीमती भगवंती रानी पत्नी स्वर्गीय नायक अरुण कुमार, गाँव ककराला, जिला महेंद्रगढ़
xi.	नाइक सतीश कुमार, गाँव जमावरी, जिला हिसार।	श्रीमती सीमा पत्नी स्वर्गीय नायक सतीश कुमार, गाँव जामवारी, जिला हिसार।

xii.	नायक योगेश, गाँव महराणा, जिला झज्जर।	श्रीमती मोहानी पत्नी स्वर्गीय नायक योगेश, गाँव महराणा, जिला झज्जर।
xiii.	सिपाही भेरू सिंह, गाँव अमरपुरा, जिला महेंद्रगढ़।	श्रीमती पवित्रा देवी पत्नी स्वर्गीय सिपाही भेरू सिंह, गाँव अमरपुरा, जिला महेंद्रगढ़।
xiv.	सिपाही अमित, गाँव म.प्र. माजरा, जिला झज्जर।	श्री रमेश कुमार पुत्र स्वर्गीय सिपाही अमित, गाँव म.प्र. माजरा, जिला झज्जर।
xv.	सिपाही हैप्पी सिंह, गाँव फागू, जिला सिरसा।	श्रीमती हरविंदर कौर पत्नी स्वर्गीय सिपाही हैप्पी सिंह, गाँव फागू, जिला सिरसा।
xvi.	सिपाही सिपाही मनोज कुमार, गाँव पीली मंदोरी, जिला फतेहाबाद।	श्रीमती संजू बाला पत्नी स्वर्गीय सिपाही मनोज कुमार, गाँव पिली मंदोरी, जिला फतेहाबाद।
xvii.	सिपाही अशोक कुमार, गाँव ढाणी जजमा, जिला महेंद्रगढ़।	श्रीमती रेखा पत्नी स्वर्गीय सिपाही अशोक कुमार, गाँव ढाणी जजमा, जिला महेंद्रगढ़।
xviii.	सिपाही अजय कुमार, गाँव गेहली, जिला महेंद्रगढ़।	श्रीमती नीतू देवी पत्नी स्वर्गीय सिपाही अजय कुमार, गाँव गेहली, जिला महेंद्रगढ़।
xix.	सिपाही अनिल कुमार, गाँव किलाजफरगढ़, जिला जींद।	श्रीमती पूनम देवी पत्नी स्वर्गीय सिपाही अनिल कुमार, गाँव किलाजफरगढ़, जिला जींद।
4.	**सामान्य**	
(i)	श्री नीरज शर्मा के चाचा श्री ओम प्रकाश कौशिक, एम.एल.ए.	श्री नीरज शर्मा, विधायक, मकान नं. 1623, जवाहर कॉलोनी, फरीदाबाद।
(ii)	श्रीमती विधायक श्री दीपक मंगला की माता प्रेमवती मंगला	श्री दीपक मंगला, विधायक, धरम नगर, सेक्टर-2 के सामने, ओल्ड जी.टी. रोड पलवल।
(iii)	श्री ओम प्रकाश कौशिक ससुर श्री रमेश चंद्र कौशिक म.प्र.	श्री रमेश चंद्र कौशिक, सांसद, बंगला नंबर 30, पं. रवि शंकर, शुक्ल लेन, नई दिल्ली।

(iv)	श्रीमती कुसुम शर्मा, सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा की मौसी	श्री कार्तिकेय शर्मा, सांसद, फ्लैट नंबर 88, साउथ एवेन्यू, प्रेसिडेंशियल एस्टेट, नई दिल्ली -110001।
(v)	श्रीमती श्रीमती सीमा त्रिखा की माता निर्मल मल्होत्रा। विधायक	श्रीमती सीमा त्रिखा, विधायक, मकान नं. 742, सेक्टर-21बी, फरीदाबाद।
(vi)	श्री सुरेश चंद गुप्ता, श्री नरेंद्र गुप्ता, विधायक के चाचा	श्री नरेन्द्र गुप्ता, विधायक, मकान नं. 1126, सेक्टर-15, फरीदाबाद।

वित्तीय कार्य

1. बजट

वर्ष **2023-2024** के बजट अनुमान मुख्यमंत्री द्वारा **23** फरवरी**, 2023** को नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन में प्रस्तुत किए गए।

(i) **सामान्य चर्चा।**

बजट पर सामान्य चर्चा निम्नानुसार आयोजित की गई: **-**

17 मार्च, 2023**,** 101 मिनट के लिए (सत्ता पक्ष 52 मिनट और विपक्ष 49 मिनट और निर्दलीय 17 मिनट)

20 मार्च, 2023**,** 212 मिनट के लिए (सत्ता पक्ष 117 मिनट और विपक्ष 71मिनट और निर्दलीय 24 मिनट)

21 मार्च, 2023**,** 242 मिनट के लिए (सत्ता पक्ष 177 मिनट और विपक्ष 49 मिनट और निर्दलीय 11 मिनट)

सत्ता पक्ष ने कुल 346 मिनट यानी तीन सौ छियालीस मिनट और विपक्ष ने 169 मिनट यानी एक सौ उनहत्तर मिनट और निर्दलीय ने 35 मिनट यानी पैंतीस मिनट का समय लिया। भाग लेने वाले सदस्यों की कुल संख्या 49 थी (सत्ता पक्ष से 28, विपक्ष से 18 और 5 निर्दलीय)।

(ii) अनुदान की मांगें।

अनुदान की सभी 18 मांगों में कुल ₹221088,91,74,343**-/-** की राशि थी। पिछली प्रथा के अनुसार और सदन का समय बचाने के लिए**,** आदेश पत्र पर सभी अनुदान मांगों (संख्या 1 से 7 और 10 से 20) को 21 मार्च**,** 2023 को सदन में एक साथ पढ़ा और पेश किया गया माना गया। सदस्यों से अनुरोध किया गया कि बोलते समय वे मांग संख्या बताएं जिस पर वे चर्चा करना चाहते हैं।

मांग संख्या 1 से 7 तक एक साथ रखी गई और स्वीकृत की गई।

मांग संख्या 10 से 20 को एक साथ रखा गया और स्वीकृत की गई।

2. वर्ष 2022–2023 के लिए अनुपूरक अनुमानों (तीसरी किस्त)

अनुपूरक अनुमान-2022-2023 (तीसरी किस्त) 22 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा सभा में प्रस्तुत किए गए और उसी दिन अर्थात 22 फरवरी, 2023 को मतदान हुआ।

अनुदान की सभी 5 मांगों में कुल ₹19314,47,12,000-/- की राशि थी।

पिछली प्रथा के अनुसार और सदन का समय बचाने के लिए, आदेश पत्र पर सभी अनुदान मांगों (संख्या 7,12 और 19) को 22 फरवरी, 2023 को सदन में एक साथ पढ़ा और पेश किया गया माना गया। सदस्यों से अनुरोध किया गया कि बोलते समय वे मांग संख्या बताएं जिस पर वे चर्चा करना चाहते हैं।

(कोई सदस्य बोलने के लिए नहीं उठा।)

मांग संख्या 7 रखी गई और सर्वसम्मति से स्वीकृत की गई।

मांग संख्या 12 रखी गई और सर्वसम्मति स्वीकृत की गई।

मांग संख्या 19 रखी गई और सर्वसम्मति स्वीकृत की गई।

3. हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2023

वर्ष 2022-2023 (तीसरी किस्त) के लिए अनुपूरक अनुमानों के संबंध में हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2022 (2023 का विधेयक संख्या 3-एचएलए) पर सभा द्वारा मतदान किया गया।

17 मार्च, 2023 को पेश किया गया और 17 मार्च, 2023 को उस पर विचार किया गया।

कुल मिलाकर ₹19314,47,12,000-/- की कुल 5 मांगें थीं।
विधेयक पारित किया गया ।

4. हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023

हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्या 6-एचएलए) बजट पर मांगों के संबंध में 22 मार्च, 2023 को सभा द्वारा मतदान किया गया था और 22 मार्च, 2023 को ही इसको पेश किया गया और इस पर विचार किया गया था।

कुल ₹221088,91,74,343-/- की कुल 18 मांगें थीं।

विधेयक पारित किया गया।

विधायी कार्य

सभा ने 17.03.2023,20.03.2023,21.03.2023 और 22.03.2023 को विधायी कार्य पर विचार किया। सभा ने वर्ष 2022-2023 के पूरक अनुमानों (तीसरी किस्त) एवं वर्ष 2023-2024 के बजट अनुमानों के संबंध में दो विनियोग विधेयकों सहित छह विधेयकों को पारित किया (तालिका देखें)।

TABLE

Sr. No.	Title of the Bill	Bill No	Minister for Move Introducing/ Passing	Date of Introducing	Date of Consideration	Number of Speeches T- O- I	Time taken in minutes T- O- I	Amendment Proposed T- O- I	Amendment Carried T- O- I	Amendment Lost T- O- I	Total approximate time taken for disposal in minutes (includes the time taken for stating the motion)	Date of passing
1.	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2023	Bill No. 2-HLA of 2023	उच्चतर शिक्षा मंत्री	17.03.2023	20.03.2023	- 1 -	- 2 -	- - -	- - -	- - -	6	20.03.2023
2.	हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2023	Bill No. 3-HLA of 2023	मुख्यमंत्री	17.03.2023	17.03.2023	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5	17.03.2023
3.	हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2023	Bill No. 4-HLA of 2023	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री	17.03.2023	20.03.2023	2 2 -	4 3 -	- - -	- - -	- - -	8	20.03.2023
4.	हरियाणा विधालय स्कूल शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023	Bill No. 5-HLA of 2023	स्कूल शिक्षा मंत्री	20.03.2023	21.03.2023	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2	21.03.2023

5.	हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023	Bill No. 6-HLA of 2023	मुख्यमंत्री	22.03.2023	22.03.2023	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3	22.03.2023
6.	हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023	Bill No. 7-HLA of 2023	संसदीय कार्य मंत्री	21.03.2023	22.03.2023	4 5 -	32 32 -	1 - -	1 - -	- - -	70	22.03.2023

T – Treasury

O- Opposition

I- Independent

SYNOPSIS OF THE BILLS PASSED BY THE HARYANA VIDHAN SABHA DURING FEBRUARY-MARCH SESSION, 2023.

1. Pandit Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak (Amendment) Bill, 2023 **(Bill No. 2-HLA of 2023) (Introduced on 17.03.2023 and passed on 20.03.2023).** This Bill seeks to amend the principal Act with a view that the popularity of Pandit Lakhmi Chand as Dada Lakhmi Chand, the Govt. has again taken the decision to change the name of the University as "Dada Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts, Rohtak".
2. The Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 2023 **(Bill No. 3-HLA of 2023) (Introduced on 17.03.2023 and passed on 17.03.2023).** This Bill seeks to introduced in pursuance of articles 204 (1) and 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of Haryana of the sums required to meet the supplementary grants made by the Legislative Assembly for expenditure for the financial year 2022-23.
3. The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2023 **(Bill No. 4-HLA of 2023) (Introduced on 17.03.2023 and passed on 20.03.2023)** This Bill seeks to amend the principal Act with a view that The definition of TDR in clause (n2) of section 2 is amended to incorporate an enabling provision for transfer/ sale of TDR certificate through sale, trade, auction mechanism, and, to rectify the inadvertent restriction imposed in the definition on geographical location of the buyer of TDR certificate. The existing sub-section (1) of section 8A of the Act of 1975 is proposed to be substituted to allow engagement of professionals or agency by the Director to enable delivery of online functions of the Department. Enabling provision is also proposed to be inserted to enable online processing of TDR application, its online issuance, holding in dematerialized form, its online sale, trade, auction and its utilization (partly or fully) and performing of all other related functions in online

mode. Finally, an enabling provision is proposed to be inserted as sub-section (3) in section 8A of the Act for recovery of fee from users of the online service to be maintained in an 'Information Technology Fund' created, managed and operated by the Director for Information Technology related services.

4. The Haryana School Education (Amendment) Bill, 2023 **(Bill No. 5-HLA of 2023) (Introduced on 20.03.2023 and passed on 21.03.2023)** This Bill seeks to amend the principal Act with a view that These schools have employees on unsanctioned/unaided posts and they are claiming equal pay for equal work from the department. Many such cases are pending in the court which may create financial liability on State Exchequer if such cases succeed in the Court of Law, provisions for the aided schools were made in the Act of 1995 because there was shortage of govt. schools in the State as per requirement and providing education to the resident children is prime responsibility of the State. As on present condition all geographical locations in State as required by various legal provisions are covered by govt. schools. Hence, there is no need of aided schools in the State.

5. The Haryana Appropriation (No.2) Bill, 2023. **(Bill No. 6-HLA of 2023) (Introduced on 22.03.2023 and passed on 22.03.2023)** This bill is introduced in pursuance of Article 204 (1) of the Constitution of India to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the State of Haryana of all money required to meet the grants made by the Legislative Assembly and expenditure charged on the Consolidated Fund of the State but not exceeding, in any case, the amount shown in the statement previously laid before the House. Hon'ble Governor, Haryana has recommended to the State Legislature the introduction and consideration of this Bill. Hence, the proposed Haryana Appropriation (No.2) Bill, 2023.

6. The Haryana Control of Organised Crime Bill, 2023. **(Bill No. 7-HLA of 2023) (Introduced on 21.03.2023 and passed on 22.03.2023).** This Bill seeks to control the Organised Crime in view of the emerging situation of organized

crime in the State of Haryana, it has become imperative to introduce a similar legislation in the State which ensures effective legal action against the gangsters, leaders and members of organized criminal gangs. Such a strong legislation shall also suitably empower the police in a lawful manner to take strong and deterrent but lawful action against the criminals. Special provisions also need to be enacted for forfeiture of the property acquired from proceeds of crimes and to create a provision for special courts and special prosecutor for handling the trials of offences under this Act.

प्रस्ताव –

(i)सरकारी

(i) विधानमंडलों की आंतरिक कार्यवाहियों में सर्वोच्च न्यायालय/ उच्च न्यायाल के हस्तक्षेप न करने से सम्बन्धित प्रस्ताव.

संसदीय कार्य मंत्री ने अध्यक्ष की अनुमति से 17 मार्च 2023 को निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:-

"कि सदन की कार्यवाही के दौरान दिनांक 21 फरवरी, 2023 को श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक ने सदन की कार्यवाही में बाधा डाली तथा अनादरपूर्ण व्यवहार किया, सदन की गरिमा तथा अध्यक्ष पीठ के प्राधिकार की उपेक्षा की जोकि सभा के नियमों का उल्लंघन है। उनके इस व्यवहार एवं नियमों के उल्लंघन के लिए उन्हें सदन से दो दिन के लिए नेम किया गया था। श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा इस विषय पर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। जिसका नोटिस विधान सभा सचिवालय में प्राप्त हुआ है जोकि संविधान के अनुच्छेद 212 के अनुरूप नहीं है। इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के समय–समय पर हुए फैसलों तथा अनुच्छेद 212 के अनुसार न्यायालयों द्वारा विधान–मंडल की कार्यवाहियों की जांच नहीं की जा सकती है, इसलिए मैं इस विषय पर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका से प्राप्त नोटिस को स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि यह विधान मंडल की आंतरिक कार्यवाही में हस्तक्षेप है, इसलिए उच्च न्यायालय के नोटिस को नज़र अंदाज किया जाना चाहिए तथा उसका जवाब नहीं देना चाहिए। "

इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला ने भी इस विषय पर अपनी बात रखी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री नीरज शर्मा ने भी इस विषय पर अपनी बात रखी।

निर्दलीय सदस्य श्री बलराज कुन्डु ने भी इस विषय पर अपनी बात रखी।

(प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ)

(ii) Regarding the objection on Levy of water cess by the Government of Himachal Pradesh on the Hydro Power Projects.

The Chief Minister with the permission of the Speaker, moved the following Resolution on 22nd March, 2023:-

"1.0 This House is concerned about the ordinance issued by the Govt. of Himachal Pradesh (Ordinance No.2 of 2023) to impose water cess on the Hydro power projects for non consumptive use of water for Power generation (Annexure A). The Himachal Pradesh states water resources are now the Governments' property, while any proprietary, riparian, or usage rights with any individual, Group, company, corporation, society or community are deemed to have been terminated.

2.0 The House acknowledges and recognizes the right of the state of Haryana over the use of water flowing into the State for all purposes. All the BBMB projects which have since been constructed with investment made by the State of Haryana with other partner States, largely happened to be situated within the territory jurisdiction of the State of Himachal Pradesh. With this new levy of water cess, the Govt. of HP is trying to put additional tax burden on the State of

Haryana as it is evident from the objective of the ordinance. With this new levy there will be an additional financial burden amounting to Rs.1200 Cr. Per annum on partner states out which around Rs.336 Cr. will be burden on State of Haryana. This new levy is not only infringement of the exclusive rights of the State over its natural resources but will also result in additional financial burden for generation of power resulting in the higher cost of generation of electricity. The levy of water cess by Govt. of Himachal Pradesh is against the provision of the Inter State Water Dispute Act, 1956. The State of Haryana through the Bhakra Beas Management Projects is already liberal to release 7.19% of electricity of the composite Share of Haryana and Punjab to Himachal Pradesh.

3.0 This House very strongly and unanimously resolves that this levy of water cess imposed by the Govt. of Himachal Pradesh is illegal, not binding upon the State of Haryana. This Ordinance should be withdrawn immediately by the State Government of Himachal Pradesh. This House also requests the Govt. of India to use its good offices to prevail upon the State Govt. of Himachal Pradesh to withdraw the Ordinance as the same is in violation of the Central Act i.e. Inter State Water Disputes Act, 1956."

Shri Bharat Bhushan Batra and Smt. Kiran Choudhry, Members from the Indian National Congress, spoke.

The motion was put and carried as amended unanimously.

(ii) गैर-सरकारी

1.	प्राप्त नोटिस की संख्या	सरकारी पक्ष -	शून्य
		विपक्ष -	2
2.	स्वीकृत हुए	सरकारी पक्ष -	शून्य
		विपक्ष -	शून्य
3.	अस्वीकृत हुए	सरकारी पक्ष -	शून्य
		विपक्ष -	2
4.	समाप्त हुए	सरकारी पक्ष -	शून्य
		विपक्ष -	शून्य
5.	वापस भेजे गए	सरकारी पक्ष -	शून्य
		विपक्ष -	शून्य
6.	नवीकृत किये गए		शून्य
7.	जिनको इस निर्णय के कारण नहीं निपटाया गया कि किसी एक सदस एक से अधिक संकल्पों को गैर अधिकारिक दिन के लिए स्वीकृत नहीं किया जायेगा		शून्य
8.	मतपत्र के लिए संकल्पों की कुल संख्या		शून्य
9.	आयोजित मतपत्रों की संख्या		शून्य
10.	जिस तारीख को मतपत्र हुआ		शून्य
11.	दिनांक जिस पर सरकारी कार्य के अलावा कार्य किया गया		

("नेवा" पोर्टल के माध्यम से) रिपोर्ट प्रस्तुत/ रखी गई

क्रमांक	किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया	दिनांक	विषय
1.	अध्यक्ष	20.02.2023	कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट
2.	उपाध्यक्ष/ सभापति	22.02.2023	"हरियाणा पुलिस संशोधन विधेयक, 2022" प्रवर समिति की रिपोर्ट
3.	सभापति	22.03.2023	अधीनस्थ विधान समिति की पचासवी रिपोर्ट

कागज–पत्र **प्रस्तुत किये गये**/रखे गए /पुनः रखे गए

क्रमांक	**किसके द्वारा** प्रस्तुत/रखे गए /पुनः रखे गए	**तारीख जिस पर** प्रस्तुत/रखे गए/पुनः रखे गए	**विषय**
1	**2**	**3**	**4**
1.	अध्यक्ष	20 फरवरी, 2023	हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 18 के तहत राज्यपाल का अभिभाषण
2.	सचिव	उपर्युक्त	हरियाणा विधान सभा ने अपने दिसम्बर, सत्र 2022 में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण |
3.	संसदीय कार्यमंत्री	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 67/जी.एस.टी-2, दिनांकित 16 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुन: रखेंगे।
4.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 68/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुन: रखेंगे।
5.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 69/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021 पर पुन: रखेंगे।
6.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 70/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुन: रखेंगे।

7.	संसदीय कार्यमंत्री	20 फरवरी, 2023	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 71/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुन: रखेंगे।
8.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 72/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुन: रखेंगे।
9.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 73/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुन: रखेंगे।
10.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 74/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुन: रखेंगे।
11.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 01/जी.एस.टी-2, दिनांकित 4 जनवरी, 2022 मेज पर पुन: रखेंगे।
12.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 02/जी.एस.टी-2, दिनांकित 4 जनवरी, 2022 मेज पर पुन: रखेंगे।
13.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 03/जी.एस.टी-2, दिनांकित 4 जनवरी, 2022 मेज पर पुन: रखेंगे।

14.	संसदीय कार्यमंत्री	20 फरवरी, 2023	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 04/जी.एस.टी-2, दिनांकित 18 जनवरी, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
15.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 05/जी.एस.टी-2 दिनांकित 18 जनवरी, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
16.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 06/जी.एस.टी-2, दिनांकित 02 फरवरी, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
17.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 07/जी.एस.टी-2, दिनांकित 02 फरवरी, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
18.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 08/जी.एस.टी-2, दिनांकित 02 फरवरी, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
19.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 09/जी.एस.टी-2, दिनांकित 23 फरवरी, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
20.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 10/जी.एस.टी-2, दिनांकित 16 मार्च, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।

21.	संसदीय कार्यमंत्री	20 फरवरी, 2023	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 11/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 मार्च, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
22.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 12/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 मार्च, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
23.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 13/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 मार्च, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
24.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 कीधारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 14/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 मार्च, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
25.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 35/जी.एस.टी-2, दिनांकित 22 जून, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
26.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 36/जी.एस.टी-2, दिनांकित 22 जून, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
27.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 37/जी.एस.टी-2, दिनांकित 28 जून, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।

28.	संसदीय कार्यमंत्री	20 फरवरी, 2023	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 38/जी.एस.टी-2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
29.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 39/जी.एस.टी-2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
30.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 40/जी.एस.टी-2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
31.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 41/जी.एस.टी-2, दिनांकित 18 जुलाई , 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
32.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 42/जी.एस.टी-2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
33.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 43/जी.एस.टी-2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
34.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 44/जी.एस.टी-2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।

35.	संसदीय कार्यमंत्री	20 फरवरी, 2023	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 45/जी.एस.टी-2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
36.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 46/जी.एस.टी-2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
37.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 47/जी.एस.टी-2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
38.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 48/जी.एस.टी-2, दिनांकित 18 जुलाई, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
39.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 49/जी.एस.टी-2, दिनांकित 23 अगस्त, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
40.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 50/जी.एस.टी-2, दिनांकित 23 अगस्त, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
41.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 51/जी.एस.टी-2, दिनांकित 23 अगस्त, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।

42.	संसदीय कार्यमंत्री	20 फरवरी, 2023	हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 52/जी.एस.टी-2, दिनांकित 23 अगस्त, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
43.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53/जी.एस.टी-2, दिनांकित 23 अगस्त, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
44.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54/जी.एस.टी-2, दिनांकित 23 अगस्त, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
45.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 58/जी.एस.टी-2, दिनांकित 30 सितम्बर, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
46.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 59/जी.एस.टी-2, दिनांकित 30 सितम्बर, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
47.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 60/जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अक्तुबर, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
48.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 61/जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अक्तुबर, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।

49.	संसदीय कार्यमंत्री	20 फरवरी, 2023	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 62/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 नवम्बर, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
50.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 63/जी.एस.टी-2, दिनांकित 12 दिसम्बर, 2022 मेज पर पुन:रखेंगे।
51.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा पशु मेला अधिनियम की धारा 22 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, विकास एवं पंचायत विभाग अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3/एच.ए. 30/1970/एस.22/2022, दिनांकित 25 फरवरी, 2022 मेज पर पुनः रखेंगे।
52.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 01/जी.एस.टी-2, दिनांकित 12 जनवरी, 2023 मेज पर रखेंगे।
53.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 02/जी.एस.टी-2, दिनांकित 12 जनवरी, 2023 मेज पर रखेंगे।
54.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 03/जी.एस.टी-2, दिनांकित 12 जनवरी, 2023 मेज पर रखेंगे।
55.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 04/जी.एस.टी-2, दिनांकित 12 जनवरी, 2023 मेज पर रखेंगे।

56.	संसदीय कार्यमंत्री	20 फरवरी, 2023	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 05/जी.एस.टी-2, दिनांकित 25 जनवरी, 2023 मेज पर रखेंगे।
57.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	हरियाणा पशु मेला अधिनियम 1970 की धारा 22 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, विकास एवं पंचायत विभाग अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3/एच.ए. 30/1970/एस.22/2022, दिनांकित 25 फरवरी, 2022 के संबंध में शुद्धिपत्र दिनांकित 13 फरवरी, 2023 मेज पर रखेंगे।
58.	उपर्युक्त	17 मार्च, 2023	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, ऊर्जा विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी/53/2021/द्वितीय संशोधन/2022, दिनांकित 26 दिसंबर, 2022 मेज पर रखेंगे।
59.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, ऊर्जा विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी/58/2022, दिनांकित 28 दिसंबर, 2022 मेज पर रखेंगे।
60.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, ऊर्जा विभाग अधिसूचना/विनियमन संख्या एच.ई.आर.सी/56/द्वितीय संशोधन/2023, दिनांकित 4 जनवरी, 2023 मेज पर रखेंगे।
61.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2019-2020 के लिए हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की 53वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे मेज पर रखेंगे।
62.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 क (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2018-2019 के लिए हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

63.	संसदीय कार्यमंत्री	17 मार्च, 2023	राज्य वित्तिय अधिनियम, 1951 की धारा, 37 (7) तथा 38 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2020-2021 के लिए हरियाणा वित्तिय निगम की 54 वीं वार्षिक रिपोर्ट सहित पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
64.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-आई के खण्ड 4 तथा अनुच्छेद 243-वाई के खण्ड 2 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार छठे राज्य वित्त आयोग, हरियाणा द्वारा दी गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के अनुसार संशोधित व्याख्यात्मक ज्ञापन मेज पर रखेंगे।
65.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड-2 के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा सरकार के 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राज्य वित्तों लेखा परीक्षण रिपोर्ट मेज़ पर रखेंगे।
66.	उपर्युक्त	उपर्युक्त	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार की अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट-2 पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

स्थगन प्रस्ताव नियम 66 व 67 के तहत

क्रमांक	सदस्य/सदस्यों का नाम	दिनांक	विषय	टिप्पणी
1.	1. श्री वरूण चौधरी, विधायक 2. श्री भारत भूषण बत्तरा, विधायक 3. श्री जयवीर सिंह, विधायक 4. श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक 5. श्री मेवा सिंह, विधायक 6. राव दान सिंह, विधायक 7. श्री आफताब अहमद, विधायक 8. श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक 9. श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक 10. श्री प्रदीप चौधरी, विधायक 11. श्री सुभाष गंगोली, विधायक 12. श्री बलबीर सिंह, विधायक	14.02.2023	प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध बारे।	स्थगन प्रस्ताव संख्या 1 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दिया गया हैः– 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
2.	1. श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक 2. श्री आफताब अहमद, विधायक 3. श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक 4. श्रीमती शैली, विधायक 5. श्री बिशन लाल, विधायक 6. श्री प्रदीप चौधरी, विधायक 7. श्रीमती रेणु बाला, विधायक 8. श्रीमती शकुंतला खटक, विधायक 9. श्री अमित सिहाग, विधायक 10. राव दान सिंह, विधायक 11. श्री कुलदीप वत्स, विधायक 12. श्री बलबीर सिंह, विधायक 13. श्री जयवीर सिंह, विधायक 14. श्री मम्मन खान, विधायक 15. श्री मेवा सिंह, विधायक	14.02.2023	ई–टेंडरिंग के विरोध में सरपंचों के विरोध बारे।	स्थगन प्रस्ताव संख्या 2 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विषय वस्तु में तत्कालीनता का अभाव होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है।

ध्यानाकर्षण सूचनाए नियम 73 के तहत

क्रमांक	सदस्य/सदस्यों का नाम	दिनांक	विषय	टिप्पणी
1.	श्री बलराज कुंडू, विधायक	06.02.2023	प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 1 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:– 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
2.	श्री बलराज कुंडू, विधायक	06.02.2023	नारनौल, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी समेत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खराब मौसम की वजह से सरसों की फसल बुरी तरह बर्बाद होने बारे।	**दिनांक 22.03.2023 के लिए स्वीकृत**
3.	श्री बलराज कुंडू, विधायक	06.02.2023	बेरोजगारी की समस्या से निपटने एवं युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 3 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:– 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
4.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	06.02.2023	गुरूग्राम–नूंह जिले में ग्लोबल सिटी में लोजिस्टिक हब की परियोजना बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 4 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित विभाग से टिप्पणी प्राप्त होने के बाद अस्वीकार कर दिया गया है।

5.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	06.02.2023	प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 5 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:– 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
6.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	06.02.2023	प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 6 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:– 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
7.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	06.02.2023	प्रदेश में परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) को बुढ़ापा सम्मान पेंशन योजना से जोडने पर बुजुर्गों की पेंशन कटने बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 7 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:– 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
8.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	06.02.2023	हरियाणा सरकार द्वारा इस वर्ष 2022–23 के लिए गन्ने की कीमतें निर्धारित ना होने बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 8 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:–

				1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
9.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	06.02.2023	प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और उसकी गुणवत्ता गिरने बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 9 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:— 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
10.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	06.02.2023	प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:— 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।

11.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	08.02.2023	खिलाड़ियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 11 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विषय वस्तु में तत्कालीनता का अभाव होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है।
12.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	09.02.2023	प्रोपर्टी आई.डी. में तकनीकी खामियों बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 12 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:— 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
13.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	10.02.2023	कोरोना महामारी के दौरान व लॉकडउन के समय प्रदेश में शराब घोटाले की जांच के लिए गठित की गई एस.ई.टी. की रिर्पोट का स्टेटस बारे।	**दिनांक 17.03.2023 के लिए स्वीकृत**
14.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	10.02.2023	प्रदेश में कुछ समय पहले रजिस्ट्रियों के मामले में हुई घोर अनियमितता की जांच बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विषय वस्तु में तत्कालीनता का अभाव होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है।

15.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	14.02.2023	सरकार द्वारा सरपंचों को 2 लाख रूपये तक के विकास कार्य कराने और उससे ऊपर की राशि के विकास कार्य ई–टेंडरिंग के माध्यम से कराने तथा सरपंचों को उनके पदों से हटाने के लिए राईट–टू–रिकॉल की शक्तियों का अलोकतांत्रिक प्रावधान बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 15 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विषय वस्तु में तत्कालीनता का अभाव होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है।
16.	1. श्री भारत भूषण बत्तरा विधायक 2. श्री वरूण चौधरी, विधायक 3. श्री अमित सिहाग, विधायक 4. श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक 5. श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक 6. श्री आफताब अहमद, विधायक 7. श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक 8. राव दान सिंह, विधायक 9. श्रीमती शैली, विधायक 10. श्री मेवा सिंह, विधायक	14.02.2023	प्रदेश में परिवार पहचान पत्र की वजह से बुजर्गों, विधवाओं एवं दिव्यांगों को पेंशन, राशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए अत्याधिक परेशानियों बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 16 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:– 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
17.	1. श्री बिशन लाल, विधायक 2. श्री वरूण चौधरी, विधायक 3. श्रीमती रेणु बाला, विधायक 4. श्री आफताब अहमद, विधायक	14.02.2023	राज्य में अवैध खनन बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 17 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:– 1. हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 73(1) के परन्तुक के अनुसार ध्यानाकर्षण सूचना 250 शब्दों से अधिक ना हो।_लेकिन विचाराधीन पत्र में 320 शब्द हैं।

				2. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 3. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
18.	1. श्री भारत भूषण बत्तरा, विधायक 2. राव दान सिंह, विधायक 3. श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक 4. श्री वरूण चौधरी, विधायक 5. श्री आफताब अहदम, विधायक	14.02.2023	राज्य में बढ़ती बेरोजगारी बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 18 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:– 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
19.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	15.02.2023	अडानी से हुए पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत बिजली ना मिलने बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 19 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विषय वस्तु में तत्कालीनता का अभाव होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है।
20.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	15.02.2023	भष्ट्र अधिकारियों पर कार्यवाही करने के विषय बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:– 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
21.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	15.02.2023	बिल अदा न करने पर अस्पतालों से शव नहीं देने बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 21 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विषय वस्तु में तत्कालीनता का अभाव होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है।

22.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	15.02.2023	हरियाणा में बढ़ते भ्रष्टाचार बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 22 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:– 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
23.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	15.02.2023	परिवार पहचान पत्र के कारण हो रही परेशानी बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 23 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:– 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
24.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	15.02.2023	हरियाणा में नशे का आदी होता युवा के बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 24 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया है कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 73(1) के परन्तुक के अनुसार ध्यानाकर्षण सूचना 250 शब्दों से अधिक ना हो।लेकिन विचाराधीन पत्र में 390 शब्द हैं।

25.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	15.02.2023	भिवानी जिले में नहरी पानी सप्लाई की कमी बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 25 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया है कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 73(1) के परन्तुक के अनुसार ध्यानाकर्षण सूचना 250 शब्दों से अधिक ना हो।_लेकिन विचाराधीन पत्र में 305 शब्द हैं।
26.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	15.02.2023	हरियाणा में यूरिया एवं डीएपी की कमी के साथ अन्य रसायन एवं कीटनाशक दवाईयों को खरीदने के लिए बाध्य करने बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 26 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:– 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
27.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	15.02.2023	प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीबों को लाभ ना मिलने बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 27 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:– 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
28.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	15.02.2023	प्रदेश की गौशालाओं में गायों को जहरीला पदार्थ खिलाने एवं चारा उपलब्ध न होने के कारण उनकी बढ़ती मौतों बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 28 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अस्वीकार कर दी गई है क्योंकि संबंधित विभाग से प्राप्त टिप्पणी संतोषजनक प्रतीत होती है।

29.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	15.02.2023	प्रदेश के पढ़े–लिखे युवाओं को कौशल रोजगार निगम द्वारा रोजगार नहीं देने बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 29 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:– 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
30.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	15.02.2023	प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अध्यापकों की कमी के कारण स्कूलों में बच्चे शिक्षा से वंचित होने एवं नूहं जिले के स्कूलों में हालात बहुत की चिंताजनक होने बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 30 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:– 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
31.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	17.02.2023	हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 31 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:– 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
32.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	17.02.2023	अवैध खनन बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 32 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:–

				1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
33.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	17.02.2023	ओल्ड पेंशन स्कीम बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 33 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:— 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
34.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	17.02.2023	प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 34 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:— 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
35.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	17.02.2023	करनाल में 45 गाय माता को जहर देकर मारने बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 28 जो कि श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा समान विषय पर दी गई थी जिसकी स्वीकृति के बारे में फैंसला लेने से पहले सरकार से 48 घंटे में टिप्पणी मांगी गई थी जिसकी टिप्पणी सरकार द्वारा प्राप्त होने के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अस्वीकार कर

				दी गई है क्योंकि विभाग द्वारा प्राप्त टिप्पणी संतोषजनक प्रतीत होती है। अतः ध्यानकर्षण सूचना संख्या 35 को भी समान विषय का होने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उपरोक्त आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है।
36.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	17.02.2023	प्रदेश सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में लोगों की आय के गलत आंकडे जोडने की वजह से उनका बीपीएल कार्ड सूची से नाम काटने बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 36 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:— 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
37.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	17.02.2023	प्रदेश में सीवर सफाई के दौरान जहरीली गैसों से दम घुटने के कारण बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों की मौत बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 37 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:— 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
38.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	17.02.2023	प्रदेश में किसानों फसलों पर बढ़ती लागत और फसलों का उचित भाव ना मिलने कारण किसानों पर बढ़ते कर्ज बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 38 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:— 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है।

				2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
39.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	17.02.2023	प्रदेश के सरकारी शिक्षण संस्थानों में लगातार छात्राओं के साथ यौन शोषण बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 39 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:— 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
40.	श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक	17.02.2023	प्रदेश में दिहाड़ीदार मजदूरों द्वारा आत्महत्याऐं करने बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 40 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:— 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
41.	श्री प्रदीप चौधरी, विधायक	17.02.2023	कालका—पिंजौर नगर परिषद एरिया में आबादी से दूर स्थाई डंपिग ग्राउंड बनाने बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 41 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:— 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है।

				2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
42.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	17.02.2023	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में स्टिल्ट प्लस चार मंजिला की अनुमति बारे।	**स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 50 के साथ सलंग्न।**
43.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	17.02.2023	दिल्ली मुंबई बडोदरा एक्सप्रेस हाईवे निर्माण में हो रहे गोलमाल बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:– 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
44.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	17.02.2023	खाद्या पदार्थों में मिलावट बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 44 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:– 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
45.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	17.02.2023	प्रदेश में सरपंचों द्वारा ई–टेंडरिंग का विरोध बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 45 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विषय वस्तु में तत्कालीनता का अभाव होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है।

46.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	17.02.2023	परिवार पहचान पत्र और प्रोपर्टी आई.डी. से लोगों को हो रही भारी परेशानी बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 46 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:– 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
47.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	18.02.2023	प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में बढ़ते रोष बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 47 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:– 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
48.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	18.02.2023	पाले से खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलाने बारे।	**स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ सलंग्न।**
49.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	18.02.2023	तोशाम में बड़ी तादाद में चोरी की वारदातों के बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 49 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विषय वस्तु में तत्कालीनता का अभाव होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है।
50.	1. श्री वरूण चौधरी, विधायक 2. श्री भारत भूषण बत्तरा, विधायक 3. श्री आफताब अहमद, विधायक	14.02.2023	प्रदेश में हरियाणा बिल्डिंग कोड को बार–बार संशोधित कर स्टिल्ट जमा चार मंजिला घरों को बनाने की अनुमति देने के विरोध बारे।	**दिनांक 22.02.2023 के लिए स्वीकृत**
51.	श्री कुलदीप वत्स, विधायक	19.02.2023	हरियाणा प्रदेश में परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) को बुढ़ापा सम्मान पेंशन योजना के साथ जोड़ने से कई हजारों बुजुर्गों की पेंशन कटने बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 51 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:–

				1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
52.	श्री शीशपाल सिंह, विधायक	19.02.2023	पिछले दिनों कालांवाली समेत समूचे हरियाणा में कानून व्यवस्था को लेकर हालात अच्छे ना होने बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 52 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:— 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
53.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	19.02.2023	पलवल और फरीदाबाद के आबकारी एवं कराधान विभाग के लोक सेवकों के खिलाफ कुछ ट्रांसपोर्टरों से रिश्वल लेने के आरोपों बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 53 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:— 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
54.	1. राव दान सिंह, विधायक 2. श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक 3. श्री आफताब अहमद, विधायक 4. श्री मम्मन खान, विधायक 5. श्री चिरंजीव राव, विधायक 6. श्री शीशपाल सिंह, विधायक	20.02.2023	प्रदेश में जनवरी माह में अधिक सर्दी के कारण सरसों की फसल का नुकसान होने बारे।	**स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ सलंग्न।**

55.	1. श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक 2. श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक 3. श्री इन्दु राज, विधायक 4. श्री जयवीर सिंह, विधायक 5. श्री मेवा सिंह, विधायक 6. श्री बलबीर सिंह, विधायक 7. श्री बिशन लाल, विधायक 8. श्री आफताब अहमद, विधायक	20.02.2023	आवारा पशुओं के खतरे और गौशाला में गायों की दयनीय स्थिति बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 55 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:— 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
56.	1. श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक 2. श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक 3. श्री भारत भूषण बत्तरा, विधायक 4. श्री इन्दु राज, विधायक 5. राव दान सिंह, विधायक 6. श्री जयवीर सिंह, विधायक 7. श्री मेवा सिंह, विधायक 8. श्री बलबीर सिंह, विधायक 9. श्री बिशन लाल, विधायक 10. श्री चिरंजीव राव, विधायक 11. श्री आफताब अहमद, विधायक 12. श्री मम्मन खान, विधायक 13. श्री वरूण चौधरी, विधायक 14. श्री शीशपाल सिंह, विधायक	20.02.2023	राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 56 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विषय वस्तु में तत्कालीनता का अभाव होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है।

57.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	20.02.2023	हरियाणा में हुए शराब घोटाले बारे।	**स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 13 के साथ सलंग्न।**
58.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	20.02.2023	फरीदाबाद एवं गुडगांव में गिरते जल स्तर एवं उसकी गुणवत्ता बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 58 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:— 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
59.	1. श्री भारत भूषण बत्तरा, विधायक 2. श्री वरूण चौधरी, विधायक 3. श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक 4. श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक 5. राव दान सिंह, विधायक 6. श्री मेवा सिंह, विधायक 7. श्री आफताब अहमद, विधायक 8. श्री मम्मन खान, विधायक 9. श्री बलबीर सिंह, विधायक 10. श्री कुलदीप वत्स, विधायक 11. श्री बिशन लाल, विधायक	20.02.2023	पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 59 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:— 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
60.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	21.02.2023	परिवार पहचान पत्र और प्रोपर्टी आई.डी. से लोगों को हो रही भारी परेशानी बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 60 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:—

				1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
61.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	21.02.2023	प्रदेश में शराब राजस्व की चोरी से हुए भारी नुकसान बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 61 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अस्वीकृत कर दी गई है क्योंकि प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में नहीं होगा जो किसी न्यायालय के न्याय–निर्णय के अधीन हो और यह विषय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में 17.04.2023 के लिए लम्बित है।
62.	श्री चिरंजीव राव, विधायक	21.02.2023	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या नियम 73 के तहत।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 62 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि संबंधी सदस्य द्वारा दिया गया विचाराधीन पत्र पढ़ने योग्य नहीं है।
63.	श्री चिरंजीव राव, विधायक	21.02.2023	हरियाणा में बढ़ रहे भ्रष्टाचार बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 63 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:– 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
64.	श्री चिरंजीव राव, विधायक	21.02.2023	कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 64 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:–

				1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
65.	श्री चिरंजीव राव, विधायक	21.02.2023	प्रदेश में बढ़ते अपराध बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 65 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:— 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
66.	1. श्री आफताब अहमद, विधायक 2. राव दान सिंह, विधायक 3. श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक	21.02.2023	प्रदेश में अनुबंध आधार पर कार्यरत अनुदेशकों (आई.टी.आई, विभाग) को नौकरी से निकालने बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 66 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विषय वस्तु में तत्कालीनता का अभाव होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है।
67.	श्री शीशपाल सिंह, विधायक	21.02.2023	भ्रष्ट अधिकारियों को हरियाणा में मिल रहा सत्ता का सरंक्षण चिंता का विषय बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 67 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:— 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
68.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	21.02.2023	प्रदेश में अनुबंध आधार पर कार्यरत अनुदेशकों (आई.टी.आई, विभाग) को नौकरी से निकालने के संदर्भ बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 68 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विषय वस्तु में तत्कालीनता का अभाव होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है।
69.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	24.02.2023	खरीफ 2022 में भावांतर योजना के तहत बाजरे की फसल को ऑनलाईन करके करोड़ों रूपयों का गबन करने बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 69 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विषय वस्तु में

				तत्कालीनता का अभाव होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है।
70.	श्रीमती किरण चौधरी, विधायक	06.03.2023	प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 70 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:— 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
71.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	09.03.2023	हाउसिंग बोर्ड द्वारा वर्ष 2014—15 में मांगे गए आवेदन के तहत फ्लैटों को देने से पिछे हटने बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 71 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विषय वस्तु में तत्कालीनता का अभाव होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है।
72.	श्री प्रदीप चौधरी, विधायक	17.03.2023	भगवानपुर, ईस्लामनगर में स्थित कॉलोनी के ग्राहकों को उनका मालिकाना हक देने बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 72 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:— 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।
73.	श्री रामकुमार गौतम, विधायक	17.03.2023	हिसार—बरवाला रोड़, राणा माइनर के साथ, एयरपोर्ट की बाहरी दीवार के साथ सबसे छोटा व सीधा रास्ता ग्रामीणों को दिए जाने संबंधी मांग बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 73 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दी गई है:— 1. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 2. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है। 3. इस विषय पर दिनांक 21.02. 2023 को चर्चा हो चुकी है।

74.	श्री नीरज शर्मा, विधायक	19.03.2023	फरीदाबाद एनसीआर सहित हरियाणा में बेमौसम बारिश से खराब हो रही फसल बारे।	**स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ सलंग्न।**
75.	श्री सत्यप्रकाश जरावता, विधायक	20.03.2023	खंड पटौदी एवं फर्रूखनगर के किसानों की सरसों, गेहूं, जौं और चने इत्यादि फसलें खराब होने बारे।	**स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ सलंग्न।**
76.	श्री चिरंजीव राव, विधायक	20.03.2023	रेवाड़ी, एनसीआर सहित हरियाणा में बेमौसम बारिश से खराब हो रही फसल बारे।	**स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ सलंग्न।**
77.	राव दान सिंह, विधायक	20.03.2023	प्रदेश में भारी ओलावृष्टि और बरसात के कारण दक्षिणी हरियाणा में किसानों की फसल को हुए नुकसान की भरपाई बारे।	**स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ सलंग्न।**
78.	1. श्री आफताब अहमद, विधायक 2. श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक	20.03.2023	प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध बारे।	ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 78 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा विषय वस्तु में तत्कालीनता का अभाव होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया है।
79.	1. श्री जगदीश नायर, विधायक 2. श्री प्रवीण डागर, विधायक	21.03.2023	हरियाणा के पलवल व अन्य जिलों में भारी बारिश व ओलावृष्टि से किसानों की फसलों के हुए नुकसान बारे।	**स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ सलंग्न।**

....

अल्प अवधि चर्चा नियम 73ए के तहत प्रस्ताव

क्रमांक	सदस्य/सदस्यों का नाम	दिनांक	विषय	टिप्पणी
1.	1. श्री वरूण चौधरी, विधायक 2. श्री भारत भूषण बत्तरा, विधायक 3. श्री आफताब अहमद, विधायक	14.02.2023	प्रदेश में हरियाणा बिल्डिंग कोड को बार–बार संशोधित कर स्टिल्ट जमा चार मंजिला घरों को बनाने की अनुमति देने के विरोध बारे।	अल्प अवधि चर्चा संख्या 1 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 50 में परिवर्तित किया गया है।
2.	1. श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक 2. श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक 3. श्री कुलदीप वत्स, विधायक 4. श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक 5. श्री भारत भूषण बत्तरा, विधायक	14.02.2023	हरियाणा के खिलाड़ियों के प्रदर्शन एवं उनकी समस्याओं एवं हरियाणा सरकार की खेल नीति बारे।	अल्प अवधि चर्चा संख्या 2 माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित तथ्यों पर अस्वीकृत कर दिया गया है:– 3. यह है कि मामले मे तत्कालीनता का अभाव है। 4. यह है कि विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं है।

....

मंत्रियों द्वारा दिया गया वक्तव्य

क्रमांक संख्या	दिनांक	दिया गया वक्तव्य	विषय सूची
1.	22.02.2023	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री	"राज्य में स्टिल्ट प्लस चार मंजिला घरों के निर्माण के विरोध से संबंधित"
2.	17.03.2023	उप मुख्यमंत्री	"राज्य में कोरोना महामारी तथा लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाले की जांच के लिए गठित एस. ई. टी. की रिपोर्ट की स्थिति से संबंधित"
3.	22.03.2023	उप मुख्यमंत्री	"नारनौल, महेन्द्रगढ़ तथा चरखी–दादरी समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में खराब मौसम के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई सरसों की फसल से संबंधित"

दिए गए भाषणों और उस पर लगने वाले समय का तुलनात्मक विवरण

मंत्रियों/सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों की संख्या					मंत्रियों/सदस्यों द्वारा लिया गया समय (मिनट्स/परसेंटेज में)				
ट्रेजरी बेंच के सदस्य (मंत्रियों को छोड़कर)	मुख्यमंत्री /मंत्री	निर्दलीय	विपक्ष के सदस्य		ट्रेजरी बेंच के सदस्य (मंत्रियों को छोड़कर))	मुख्यमंत्री/मंत्री	निर्दलीय	विपक्ष के सदस्य	
			भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी	इंडियन नेशनल लोकदल				भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी	इंडियन नेशनल लोकदल
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
54 **39.42%**	**13** **9.48%**	**9** **6.57%**	**61** **44.53%**	**-** **-**	**423** **36.78%**	**225** **19.57%**	**64** **5.57%**	**438** **38.08%**	**-** **-**

नोट्सः-

(i) सभापीठ द्वारा अवलोकन/निर्णय आदि और उस पर लगने वाला समय विवरण में शामिल नहीं है।

(ii) प्रश्नकाल को विवरण में शामिल नहीं किया गया है।

(iii) बजट अनुमान प्रस्तुत करने में वित्त मंत्री द्वारा लिया गया समय भी विवरण में शामिल नहीं है।

(iv) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, व्यक्तिगत स्पष्टीकरण, व्यवस्था का बिंदु, विधान के संबंध में प्रस्ताव और मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्यों आदि पर लगने वाला समय भी विवरण में शामिल नहीं किया गया है।

प्रश्नों से संबंधित आंकड़े

1)	सभा की कुल बैठकों की संख्या ।	8
2)	प्राप्त हुए कुल प्रश्नों की संख्या (तारांकित/अतारांकित)।	339+185=524
3)	प्राप्त हुए अल्पकालिक नोटिस प्रश्नों की संख्या।	शून्य
4)	बैठकों की कुल संख्या जिसमें प्रश्नकाल हटा दिया गया आयोजित नहीं हुआ।	2
5)	सदस्यों की कुल संख्या जिनसे सूचना प्राप्त हुई ।	52
6)	प्रश्नों की कुल संख्या जिनके मौखिक उत्तर दिए गए ।	66
7)	किसी एक दिन मौखिक रूप से सबसे अधिक संख्या में प्रश्नों के दिए गए उत्तर ।	13
8)	किसी एक दिन मौखिक रूप से सबसे कम प्रश्नों के दिए गए उत्तर ।	8
9)	अतारांकित प्रश्नों में परिवर्तित तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या।	शून्य
10)	उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्नों की कुल संख्या ।	120
11)	किसी एक मंत्री/मुख्यमंत्री द्वारा मौखिक रूप से सबसे अधिक संख्या में प्रश्नों के दिए गए उत्तर	19
12)	सबसे अधिक संख्या में किसी एक मंत्री/मुख्यमंत्री को मौखिक रूप से संबोधित किए गए प्रश्न।	31
13)	संबंधित सदस्य को दिए गए सवालों के जवाब में दिए गए विवरणों की कुल संख्या।	16

प्रश्नों का विवरण

	प्राप्त नोटिस की संख्या	स्वीकृत किये गए	वापस भेजे गए	परिवर्तित किये गए	अस्वीकृत किये गए	सयोंजित किये गए	समाप्त हुए	पूछे नहीं गए	स्थगित / समय बढाया गया	उत्तर दिए गए	सवालों की संख्या जिनका उत्तर दिया गया समझा गया	अनुपूरक प्रश्नों की संख्या
तारांकित	339	177	-	-	58	-	162	-	-	119	-	-
अतारांकित	185	121	-	-	27	-	37	-	1	120	-	-
अल्पकालिक नोटिस	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

उत्तर दिए गए /स्थगित किये गए /नहीं पूछे गए तारांकित प्रश्नों की तिथि-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

दिनांक	सरकारी पक्ष	विपक्ष	आजाद	नहीं पूछे गए प्रश्न	प्रश्न स्थगित / समय बढाया गया
21.02.2023	3	5	-	-	-
22.02.2023	8	5	-	3	-
17.03.2023	5	7	-	-	-
20.03.2023	5	5	-	-	-
21.03.2023	3	6	1	1	-
22.03.2023	5	7	1	3	-

नियम-45(1) के अंतर्गत तारांकित प्रश्नों की तिथि-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण जिनके उत्तर दिए हुए समझे गए

दिनांक	सरकारी पक्ष	विपक्ष	आजाद	प्रश्नों की कुल संख्या जिनके उत्तर दिए हुए समझे गए	प्रश्नों की कुल संख्या जिनके उत्तर **मौखिक रूप से** दिए गए	नहीं पूछे गए प्रश्न	समय बढाया गया	सूचीबद्ध प्रश्नों कि कुल संख्या
21.02.2023	3	8	1	12	8	-	-	20
22.02.2023	1	1	1	3	13	3	-	19
17.03.2023	3	5	-	8	12	-	-	20
20.03.2023	4	6	-	10	10	-	-	20
21.03.2023	3	6	-	9	10	1	-	20
22.03.2023	1	3	-	4	13	3	-	20

विभिन्न मंत्रियों के नाम पर तारांकित प्रश्नों की संख्या दर्शाने वाला विवरण (तिथि-वार)

दिनांक	मुख्यमंत्री	उप मुख्यमंत्री	चिकित्सा शिक्षा	उच्च शिक्षा	बिजली	स्वास्थ्य	श्रम / रोजगार	कृषि तथा किसान कल्याण	शहरी स्थानीय निकाय	यातायात	पशु पालन	आयुष	विकास एवं पंचायत	महिला एवम बाल विकास	गृह	सभी के लिए आवास	स्कूल शिक्षा	विरासत एवं पर्यटन	सहकारिता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी
21.02.2023	4	3	1	-	-	2	-	-	5	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-
22.02.2023	4	8	1	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
17.03.2023	5	2	-	1	-	-	1	-	1	2	-	1	1	1	-	-	1	1	1	2
20.03.2023	4	6	-	2	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1
21.03.2023	4	4	-	-	-	1	1	3	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	2
22.03.2023	4	8	-	1	1	2	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-

बहिर्गमन

क्रमांक संख्या	दिनांक	विधायक / विधायकों द्वारा वॉक आउट	कारण
1.	20.02.2023	सदन में उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त सदस्य	सदन में उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त सदस्य **(महिला सदस्यों को छोड़कर)** मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह का नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र न लिए जाने के कारण विरोध स्वरूप सदन से वाक आउट कर गए।
2.	21.02.2023	सदन में उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त सदस्य	सदन में उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त सदस्य उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब न दिए जाने और उनकी पार्टी के सदस्यों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को स्वीकार न किए जाने के विरोध स्वरूप सदन से वाक आउट कर गए।
3.	17.03.2023	इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला,	प्रश्न काल के दौरान इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला, उनके तारांकित प्रश्न संख्या 44 का सरकार द्वारा संतोषजनक जवाब न दिए जाने और अध्यक्ष महोदय द्वारा उनके प्रश्न के दौरान इंट्रप्शन करने के विरोध स्वरूप सदन से वाक आउट कर गए।
4.	17.03.2023	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य	सदन में उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह पर लगे आरोपों से संबंधित उनके द्वारा सदन में स्पष्टीकरण न दिए जाने के विरोध स्वरूप सदन से वाक आउट कर गए।

परिशिट
बुलेटिनस

(14वीं विधान सभा के 12वें सत्र (फरवरी–मार्च) 2023 की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण)

बुलेटिन संख्या–1

सोमवार, 20 फरवरी, 2023
(प्रातः 11:00 बजे से मध्याह्न पश्चात 12:41 बजे तक)

1. **राज्यपाल महोदय का अभिभाषण।**

हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 18 के अनुसरण में अध्यक्ष महोदय ने प्रतिवेदित किया है कि राज्यपाल महोदय ने संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन आज दिनांक 20 फरवरी, 2023 को प्रातः 11.00 बजे हरियाणा विधान सभा में अभिभाषण देने की कृपा की थी ।

(नेवा पोर्टल के माध्यम से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति सदन की मेज़ पर रखी गई ।)

2. **शोक प्रस्ताव**

मुख्यमंत्री ने स्वर्गीयः–

9. श्री जगदीश नेहरा, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री;
10. श्री वेद पाल, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष;
11. श्री धर्मबीर गाबा, हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री;
12. श्री भगवान सहाय रावत, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
13. चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
14. श्री जगराम, स्वतंत्रता सेनानी;
15. हरियाणा के शहीद;
16. अन्य।

के देहावसान का उल्लेख किया तथा 07 मिनट भाषण दिया।

प्रतिपक्ष के नेता, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, ने 07 मिनट भाषण दिया।

अध्यक्ष महोदय ने भी सदन में अभिव्यक्त की गई भावनाओं के साथ अपने आप को सम्मिलित किया तथा 1 मिनट भाषण दिया और सुझाव दिया कि हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री नरेन्द्र गुप्ता के चाचा श्री सुरेश चन्द गुप्ता जिनका निधन इन्हीं दिनों हुआ है, का नाम भी उक्त सूची में सम्मिलित किया जाए तथा इस पर सहमति हुई।

यह निश्चित किया गया कि शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजे जाएं।

दिवंगतों की पुण्य–स्मृति के प्रति सम्मान के रूप में सभा ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण किया।

3. हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग की सभापति तथा हरियाणा के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र एवं वरिष्ठ पत्रकार का अभिनन्दन।

अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से–

(क) हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष सरदार हरमोहिदंर सिंह चट्ठा, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

(ख) श्रीमती रेखा शर्मा, सभापति, राष्ट्रीय महिला आयोग, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठी थीं, का अभिनन्दन किया।

(ग) इंडियंज मीडिया सैंटर, हरियाणा के माध्यम से हरियाणा के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र एवं वरिष्ठ पत्रकार, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

4. श्री बलराज कुण्डू, विधायक द्वारा अपनी जन जागृति यात्रा से संबंधित अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन देना ।

श्री बलराज कुण्डू, विधायक द्वारा हाल में ही हरियाणा में की गई अपनी जन जागृति यात्रा से संबंधित एक ज्ञापन अध्यक्ष महोदय को सौंपा लेकिन अध्यक्ष महोदय ने उनसे उस ज्ञापन को सचिव महोदय को सौंपने के लिए कहा। तत्पश्चात उन्होंने वह ज्ञापन सचिव महोदय को सौंपा।

5. मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह के त्याग पत्र से संबंधित मामला उठाना।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की विधायक श्रीमती गीता भुक्कल एवं उनकी पार्टी के कई अन्य विधायकों ने मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह द्वारा एक जूनियर महिला कोच के साथ छेड़खानी से संबंधित मामला उठाया और सरकार से उनका त्याग पत्र लेने की मांग की। अध्यक्ष महोदय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से कहा कि अभी वे अपनी सीटों पर बैठ जाएं क्योंकि केवल किसी पर आरोप लगाने से ही वह व्यक्ति आरोपी करार नहीं दिया जा सकता और उससे त्याग पत्र नहीं लिया जा सकता। अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को यह भी कहा कि इस तरह से तो कोई भी किसी पर आरोप लगा सकता है लेकिन जब तक उस व्यक्ति पर आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक वह व्यक्ति दोषी नहीं कहा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय ने इन सदस्यों से यह भी कहा कि इस मामले में पहले ही एक एस.आई.टी. गठित की जा चुकी है और अभी इस केस की जांच चल रही है। जैसे ही एस.आई.टी. की रिपोर्ट आ जाएगी उसी के मुताबिक सरकार कार्यवाही करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सदस्य लगातार अपनी सीटों पर खड़े होकर यह मामला उठाते रहे और यहां तक कि कुछ सदस्य अपने हाथों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हुआ के लिखे हुए नारों के बैनर्स लहराते रहे और कुछ सदस्य तो सदन की वैल तक में आ गए। अध्यक्ष महोदय ने बार–बार उन सभी सदस्यों से कहा कि वे अपनी सीटों पर बैठ जाएं क्योंकि सदन में उनके द्वारा इस तरह के बैनर्स लहराना एवं सदन की वैल में आना ठीक नहीं है लेकिन इन सभी सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की बात पर ध्यान नहीं दिया और वे इस मामले को लेकर लगातार सदन में नारेबाजी करते रहे और सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करते रहे।

विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने खुद कहा था कि जब तक श्री संदीप सिंह निर्दोष साबित नहीं हो जाते तब तक उनको पार्टी की किसी मीटिंग में नही बुलाया जाएगा तो फिर अब सरकार श्री संदीप सिंह से इस्तीफा क्यों

नहीं ले रही है। इस पर मुख्यमंत्री महोदय ने प्रतिवाद किया और कहा कि श्री संदीप सिंह को मीटिंग में बुलाया गया था लेकिन वह स्वंय उसमें शामिल नहीं हुए थे। श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री से मांग की कि या तो इस केस की जांच सी.बी.आई. को दे दी जाए या फिर नैतिकता के आधार पर श्री संदीप सिंह से त्यागपत्र ले लिया जाए। मुख्यमंत्री महोदय ने सदन को बताया कि श्री संदीप सिंह से खेल एवं युवा मामलों से संबंधित विभाग पहले ही ले लिया गया है ताकि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो सके और मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में श्री संदीप सिंह से त्याग पत्र को लेने से इंकार कर दिया।

6. वाक आउट।

सदन में उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त सदस्य (महिला सदस्यों को छोड़कर) मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह का नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र न लिए जाने के कारण विरोध स्वरूप सदन से वाक आउट कर गए।

7. घोषणाएं–

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा

(i) चेयरपर्सज़ के नामों की सूची के संबंध में।

हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 13 (1) के अधीन, अध्यक्ष महोदय ने फरवरी–मार्च सत्र, 2023 के लिए निम्नलिखित सदस्यों को सभापति के नामों की सूची (पैनल आफ चेयरपर्सनज़) में कार्य करने के लिए नामज़द किया :–

1. श्री असीम गोयल, विधायक
2. श्रीमती सीमा त्रिखा, विधायक
3. श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक
4. श्री रणधीर सिंह गोलन, विधायक

(ii) सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति के संबंध में

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि–

1. उन्हें श्री दुड़ाराम, एम.एल.ए से ई–मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे दिनांक 19 व 20 फरवरी, 2023 को फाल्गुन की अमावस्या के कारण राजस्थान में गए हुए हैं इसलिए वे आज दिनांक 20.02.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
2. उन्हें श्री अनिल विज, गृह मंत्री से पत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि वे अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 20.02.2023 से 23.02.2023 तक सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
3. उन्हें श्री संदीप सिंह, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, राज्य मंत्री से ई–मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि वे बीमार होने के कारण दिनांक 20.02.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।
4. उन्हें श्रीमती नैना सिंह चौटाला, विधायक से ई–मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि वे अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण दिनांक 20.02.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकती हैं।

5. उन्हें श्री सुधीर सिंगला, विधायक से ई–मेल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि वे तबीयत ठीक न होने के कारण दिनांक 20.02.2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(ख) सचिव द्वारा

सचिव महोदय ने निम्नलिखित विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने दिसम्बर, सत्र 2022 में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, नेवा पोर्टल के माध्यम से सादर सदन की मेज पर रखने की घोषणा की।

दिसम्बर–सत्र, 2022

1. हरियाणा नगरीय अचल सम्पत्ति कर (सूची विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2022.
2. हरियाणा लघु नगर (कर विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2022.
3. हरियाणा नगर पालिका (कर विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक, 2022.
4. हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2022.
5. हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2022.
6. हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) विधेयक, 2022.
7. हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2022.
8. फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022.
9. गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022.
10. हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022.
11. हरियाणा नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022.
12. हरियाणा विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2022.

8. कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट ।

अध्यक्ष महोदय ने कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत की :–

समिति की बैठक वीरवार, 16 फरवरी, 2023 को मध्याह्न–पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई।

"समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निर्देश नहीं देते, सत्र के दौरान, विधान सभा की बैठक सोमवार, 20 फरवरी, 2023 को प्रातः 11.00 बजे आरम्भ होगी तथा सायं 06.00 बजे बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

सोमवार, 20 फरवरी, 2023 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरंत आधा घंटा पश्चात् विधान सभा की बैठक आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

समिति ने आगे सिफारिश की कि मंगलवार, 21 फरवरी, 2023 से वीरवार 23 फरवरी 2023 को विधान सभा की बैठक प्रातः 11.00 बजे आरम्भ होगी तथा सायं 06.00 बजे बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

समिति ने आगे यह भी सिफारिश की कि शुक्रवार, 17 मार्च, 2023 को विधान सभा की बैठक प्रातः 11.00 बजे आरम्भ होगी तथा सायं 06.00 बजे स्थगित होगी, सोमवार, 20 मार्च, 2023 तथा

मंगलवार, 21 मार्च 2023 को विधान सभा की बैठक प्रातः 11.00 बजे आरम्भ होगी तथा सायं 06.00 बजे स्थगित होगी तथा बुधवार 22 मार्च, 2023 को प्रातः 11.00 बजे आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात् बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

कुछ चर्चा के पश्चात्, समिति ने आगे सिफारिश की कि सोमवार, 20 फरवरी, 2023 से वीरवार, 23 फरवरी 2023 तथा शुक्रवार, 17 मार्च, 2023, सोमवार, 20 मार्च, 2023 से बुधवार, 22 मार्च 2023 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगाः—

सोमवार, 20 फरवरी, 2023 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरन्त आधा घंटा पश्चात् सदन की बैठक होगी।	3. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज़ पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति रखना। 4. शोक प्रस्ताव। 5. कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना। 6. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज–पत्र।
मंगलवार, 21 फरवरी, 2023 (प्रातः11.00 बजे)	1. प्रश्न काल। 2. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा।
बुधवार, 22 फरवरी, 2023 (प्रातः 11.00 बजे)	1. प्रश्न काल। 2. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान। 3. वर्ष 2022–2023 के लिए अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान। 4. नियम–121 के अधीन प्रस्ताव। 5. हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 पर चयन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
वीरवार, 23 फरवरी, 2023 (प्रातः 11.00 बजे)	वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना।
शुक्रवार, 24 फरवरी, 2023 से वीरवार, 16 मार्च, 2023 तक	मध्यावकाश।
शुक्रवार, 17 मार्च, 2023 (प्रातः 11.00 बजे)	1. प्रश्न काल। 2. वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा। 3. वर्ष 2022–2023 के लिए अनुपूरक अनुमानों (तीसरी किस्त) के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक। 4. विधान कार्य।
शनिवार, 18 मार्च, 2023	छुट्टी।
रविवार, 19 मार्च, 2023	छुट्टी
सोमवार, 20 मार्च, 2023 (प्रातः 11.00 बजे)	1. प्रश्न काल। 2. वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर समान्य चर्चा का पुनरारम्भण। 3. विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना। 4. विधान कार्य।
मंगलवार, 21 मार्च, 2023 (प्रातः 11.00 बजे)	1. प्रश्न काल। 2. वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारम्भण तथा वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों तथा वर्ष 2023–2024 के लिए अनुदानों की मांगों पर वित्त मंत्री द्वारा उत्तर तथा मतदान। 3. विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना। 4. विधान कार्य।
बुधवार, 22 मार्च, 2023 (प्रातः 11.00 बजे)	1. प्रश्न काल। 2. निरंतर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव।

3. अनिश्चित काल के लिए सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव।
4. रखे जाने वाले कागज–पत्र, यदि कोई हों।
5. विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना।
6. वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों के संबंध हरियाणा विनियोग विधेयक।
7. विधान कार्य।
8. कोई अन्य कार्य।"

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया–

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

प्रस्ताव रखा गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

9. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर पुनः रखे गए/रखे गए कागज–पत्र।

संसदीय कार्य मंत्री ने नेवा पोर्टल के माध्यम से क्रम संख्या 1 से 49 तक कागज–पत्र पुनः रखे तथा क्रम संख्या 50 से 55 तक सदन की मेज पर रखे ।

10. श्री भव्य बिश्नोई, विधायक द्वारा माननीय सदस्यों को दिनांक 21.02.2023 को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना।

श्री भव्य बिश्नोई, विधायक ने सभी माननीय सदस्यों को दिनांक 21.02.2023 को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया।

तब सभा मंगलवार, 21 फरवरी, 2023 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

....

बुलेटिन संख्या–2

मंगलवार, 21 फरवरी, 2023
(11.00 बजे से सायं 06:09 बजे तक)

1. **प्रश्न**

(क) तारांकितः

क्रम पत्र पर कुल संख्या	उत्तरित	न पूछे गए	स्थगित किए गए	अनुपूरकों की संख्या
20	8	—	—	15

शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए समझे गए तथा उनके उत्तर सदन की मेज पर रखे गए।

(ख) अतारांकितः 40

2. **उडयान केयर, एन.जी.ओ., कुरूक्षेत्र के विद्यार्थियों एवं वरिष्ठ व्यक्ति का अभिनन्दन।**

प्रश्न काल के दौरान अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से उडयान केयर, एन. जी. ओ., कुरूक्षेत्र के विद्यार्थियों एवं वरिष्ठ व्यक्ति, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

3. **सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में सूचना देना।**

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि–

(क) उन्हें डा. कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री से पत्र के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके परिवार में विवाह समारोह होने के कारण वे दिनांक 21 फरवरी से 23 फरवरी, 2023 तक सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(ख) उन्हें श्री सोमबीर सांगवान, विधायक से ई-मेल के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे व्यक्तिगत कार्य की वजह से शहर से बाहर होने के कारण दिनांक 21 फरवरी, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(ग) उन्हें श्री संदीप सिंह, मुद्रण तथा लेखन सामग्री राज्य मंत्री से ई-मेल के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे बीमार होने के कारण दिनांक 21 फरवरी, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

4. **शून्यकाल में विभिन्न मामलों/मांगों को उठाना।**

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज दिनांक 21 फरवरी, 2023 को शून्यकाल में भाग लेने के लिए 22 सदस्यों ने अपने अपने नामों की पर्ची डाली थी। यदि सभी सदस्य तीन तीन मिनट्स का समय लेना चाहेंगे तो तीन मिनट का समय उनको बोलने के लिए निर्धारित कर देंगे लेकिन यदि सदस्य पांच–पांच मिनट बोलना चाहेंगे तो केवल 12 सदस्य ही शून्यकाल में बोलेंगे और बाकी के बचे हुए सदस्यों को कल बोलने का मौका दिया जा सकता है । इस के बाद अध्यक्ष

महोदय ने 12 सदस्यों को अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विभिन्न मामलों/मांगों को उठाने की अनुमति दी। तत्पश्चात, श्री अभय सिंह चौटाला, श्री भव्य बिश्नोई, श्री राम कुमार गौतम, श्री बिशन लाल सैनी, श्री नीरज शर्मा, श्री लक्ष्मण सिंह यादव, श्री जयवीर सिंह, श्री कृष्ण लाल मिड्डा, श्री शीशपाल सिंह केहरवाला, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री आफताब अहमद और श्री लक्ष्मण नापा ने क्रमशः अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विभिन्न मामले/मांगें उठाई।

5. **श्री भव्य बिश्नोई, विधायक द्वारा माननीय सदस्यों को आज दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना।**

श्री भव्य बिश्नोई, विधायक ने सभी माननीय सदस्यों को आज दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया।

6. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव –

"राज्य में कोरोना महामारी तथा लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाले की जांच के लिए गठित एस. ई. टी. की रिपोर्ट की स्थिति के संबंध में"

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें राज्य में कोरोना महामारी तथा लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाले की जांच के लिए गठित एस. ई. टी. की रिपोर्ट की स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या–13, जिसकी सूचना श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक ने दी थी, प्राप्त हुई थी तथा जिसे स्वीकृत कर लिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि इसी समान विषय पर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या–57, जिसकी सूचना श्री नीरज शर्मा, विधायक ने दी थी, भी प्राप्त हुई थी, जिसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या–13 के साथ जोड़ दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को यह भी सूचित किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्हें एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज 21.02.2023 को सदन में बीमार होने के कारण उपस्थित नहीं हो सकते हैं इसलिए गृह मंत्री जी ने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को किसी अन्य तिथि को सूचीबद्ध करने के लिए अनुरोध किया है। संबंधित माननीय सदस्यों को इसकी सूचना विधान सभा सचिवालय की तरफ से भिजवा दी जाएगी।

नेता प्रतिपक्ष, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्रीमती किरण चौधरी एवं श्री आफताब अहमद ने उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का सरकार की तरफ से जवाब न देने पर कड़ा एतराज जताया। श्रीमती किरण चौधरी ने माननीय उपाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करते हुए कहा कि उन्होंने भी इसी विषय से संबंधित अपना एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कल शाम को दिया था लेकिन वह उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ नहीं लगाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय ने उनको बताया कि उनका यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज ही प्राप्त हुआ था इसलिए इसको उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के साथ नहीं लगाया जा सका।

श्री आफताब अहमद ने माननीय उपाध्यक्ष महोदय से कहा कि हमारी पार्टी के सदस्य जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देते हैं उनमें से ज्यादातर को स्वीकार ही नहीं किया जाता और यदि कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार भी किया जाता है तो उसका सरकार की तरफ से जवाब नहीं दिया जाता है। इसके अलावा हमारी पार्टी के सदस्यों की तरफ से जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए गए हैं उनका स्टेटस भी नहीं बताया जाता है ।

7. वाक आउट।

सदन में उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समस्त सदस्य उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब न दिए जाने और उनकी पार्टी के सदस्यों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को स्वीकार न किए जाने के विरोध स्वरूप सदन से वाक आउट कर गए।

8. बैठक का स्थगन।

उपाध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि दोपहर के भोजन अवकाश के लिए सदन 1 घण्टे के लिए स्थगित रहेगा।

तत्पश्चात सदन मध्याहन–पश्चात् 1:23 बजे 1 घण्टे के लिए स्थगित हुआ तथा मध्याहन–पश्चात् 2:23 बजे पुनः समवेत हुआ।

(जब सदन समवेत हुआ तो चेयर पर श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)

9 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों की सूचना

जैसे ही सदन समवेत हुआ, अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी । इसके बाद उन्होंने श्री असीम गोयल, विधायक से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा । उसी समय श्री आफताब अहमद, विधायक ने अचानक अपनी सीट पर खड़े होकर अध्यक्ष महोदय से उनकी पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों एवं स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं का परिणाम जानना चाहा, तो अध्यक्ष महोदय ने उन्हें सूचित किया कि वे इस बारे में उन्हें कल सुबह बता देंगे ।

जब श्रीमती किरण चौधरी, विधायक ने अध्यक्ष महोदय से यह जानना चाहा कि क्या रिसैस के बाद भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लग सकते हैं तो अध्यक्ष महोदय ने उनको बताया कि रिसैस के बाद भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लग सकते हैं ।

10. श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक के विरूद्ध विशेषाधिकार के कथित हनन का प्रश्न उठाना।

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी और श्री असीम गोयल, विधायक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा शुरू करेंगे। इसके बाद जैसे ही श्री असीम गोयल, विधायक ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा की शुरूआत की तो उसी समय श्री जोगी राम सिहाग, विधायक ने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करते हुए कहा कि आज सदन में शून्य काल में अभय सिंह चौटाला ने अपने भाषण के दौरान सदन को गुमराह किया जिस के विरोध में वे एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस लाना चाहते हैं। इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने श्री जोगी राम सिहाग को अपना प्रिविलेज मोशन का नोटिस पढ़ने की इजाजत दे दी। जैसे ही श्री जोगी राम सिहाग ने श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक के खिलाफ अपना प्रिविलेज मोशन का नोटिस पढ़ा उसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्री आफताब अहमद और श्रीमती किरण चौधरी ने इसका विरोध करते हुए अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि यदि कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का नोटिस देना चाहता है तो

उसको पहले लिखित में विधान सभा के सचिव को इसकी सूचना देनी होती है। श्री भारत भूषण बत्रा ने हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बंधी नियमों के नियम 280 और 281 का हवाला देते हुए कहा कि "विशेषाधिकार के प्रश्न उठाने का इच्छुक सदस्य, उस दिन जिस को प्रश्न उठाए जाना प्रस्तावित है, बैठक के प्रारम्भ होने से पूर्व सचिव को लिखित रूप में नोटिस देगा। यदि उठाया गया प्रश्न किसी दस्तावेज पर आधारित हो तो नोटिस के साथ वह दस्तावेज लगाई जाएगी।"

माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस बारे में नियम 282 का हवाला दिया और इस बारे में अपने विचार रखे।

इस संबंध में कुछ चर्चा के बाद अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वे इस प्रिविलेज मोशन के नोटिस के बारे में बाद में विचार करेंगे।

11. **सदस्य को नामित करना।**

जब श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक ने अध्यक्ष महोदय से जानना चाहा कि आज उनके द्वारा दिये गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिस पर सरकार द्वारा जबाव नहीं दिया गया है, अब किस तिथि में सूचीबद्ध किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय ने उनको बताया कि सदन के बिजनैस को देखकर उनको इसकी तारीख बता दी जाएगी। परन्तु श्री अभय सिंह चौटाला अध्यक्ष महोदय के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और अध्यक्ष महोदय से काफी देर तक इस बारे में वाद विवाद करते रहे तथा सदन की कार्यवाही को बाधित करते रहे। अध्यक्ष महोदय ने उनको बार बार कहा कि वे इस तरह से सदन की कार्यवाही को बाधित ना करें और अपनी सीट पर बैठ जाएं। अध्यक्ष महोदय के बार बार आग्रह करने के बावजूद भी वे अपनी सीट पर नहीं बैठे तथा लगातार सदन की कार्यवाही को बाधित करते रहे। इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने श्री अभय सिंह चौटाला को सदन से बाहर जाने के लिए कहा लेकिन वे सदन से बाहर नहीं गए और अध्यक्ष महोदय से तर्क वितर्क करते रहे। अध्यक्ष महोदय ने उनको नेम करते हुए पुनः सदन से बाहर जाने के लिए कहा । तत्पश्चात् श्री अभय सिंह चौटाला अध्यक्ष महोदय से तर्क वितर्क करते हुए स्वयं ही सदन से बाहर चले गए। इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने सदन को बताया कि श्री अभय सिंह चौटाला को दिनांक 21.02.2023 और 22.02.2023 के लिए नेम कर दिया गया है।

12. **राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा।**

श्री असीम गोयल, विधायक ने प्रस्ताव–

"कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाएः–

'कि इस सत्र में इकठ्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 20 फरवरी, 2023 को प्रातः 11.00 बजे सदन में देने की कृपा की है।'।"

प्रस्तुत करते हुए 22 मिनट भाषण दिया।

श्री ईश्वर सिंह, विधायक ने प्रस्ताव का समर्थन किया तथा 11 मिनट भाषण दिया।

मंत्री पक्ष के सदस्य श्री अभय सिंह यादव, श्री सीता राम यादव, श्री कृष्ण लाल मिड्डा, श्री सुभाष सुधा, श्री दीपक मंगला, श्री राजेश नागर, श्री घनश्याम दास अरोड़ा तथा श्री लीला राम ने क्रमशः 8, 6, 7, 6, 8, 3, 10 और 10 मिनट भाषण दिया।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य, डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान, राव दान सिंह, श्री जयवीर सिंह, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री कुलदीप वत्स, श्री शमशेर सिंह गोगी, राव चिरंजीव और डा. बिशन लाल सैनी ने क्रमशः 29, 10, 5, 10, 7, 8, 7 और 7 मिनट भाषण दिया।

निर्दलीय सदस्य श्री नयन पाल रावत, श्री रणधीर सिंह गोलन और श्री बलराज कुण्डू ने क्रमशः 8, 8 और 7 मिनट भाषण दिया।

13. आर. पी. एस. इंटरनैशनल स्कूल, करनाल के विद्यार्थियों और अध्यापकगण का अभिनन्दन।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से आर. पी. एस. इंटरनैशनल स्कूल, करनाल के विद्यार्थियों और अध्यापकगण, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

14. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा की जाने वाली चर्चा के समय के वितरण के बारे में सूचना ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर होने वाली चर्चा के समय के वितरण के बारे में सदन को सूचित किया ।

15. श्री अभय सिह चौटाला, विधायक के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की सूचना ।

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्री जोगीराम सिहाग, विधायक और श्री अनूप धानक, विधायक से श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक के विरूद्ध आज एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मिला है । उपाध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया कि श्री जोगी राम, विधायक द्वारा दिए गए विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को उठाने के लिए उन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी है । इसके बाद उन्होंने विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव के विषय को उठाने के लिए श्री जोगी राम सिहाग, विधायक से अनुमति लेने के लिए कहा ।

इसके बाद श्री जोगी राम सिहाग, विधायक ने विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को उठाने के लिए उपाध्यक्ष महोदय से अनुमति मांगी । उपाध्यक्ष महोदय ने उनके द्वारा पेश किए गए विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर उन सदस्यों से अनुरोध करते हुए कहा कि जो इस प्रस्ताव पर अनुमति दिए जाने के पक्ष में हैं वे अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। ऐसे सदस्य जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में थे उनकी गिनती 15 से अधिक होने पर उपाध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि इस विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को मंजूर किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय ने श्री जोगी राम सिहाग, विधायक से कहा कि वे श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को रैफर करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

इसके बाद श्री जोगी राम सिहाग, विधायक ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि–

Today, the 21st February, 2023 while speaking during Zero Hour, Shri Abhay Singh Chautala, MLA brought certain wrong and misleading facts regarding the land acquired near/for the purpose of Hissar Airport, etc. The Hon'ble Deputy Chief Minister, subsequently, with the permission of the Hon'ble Speaker, clarified the position there and then. Inspite of this, Shri Abhay Singh Chautala adamant with the aim to assert and brought certain wrong facts misleading the House, by using unparliamentary words too.

The act of the Hon'ble Member is unwarranted, unjust and undignified, particular when the Dy. CM clarified the position immediately in the House. Shri Abhay Singh Chautala, MLA, thus, mislead the House by giving false and wrong facts, knowingly, intentionally and deliberately. He has lowered the prestige, status and dignity of the House particularly and members specially. The act of the said member, therefore, clearly constitutes Breach of Privilege, that too on the Floor of House. Besides this, the conduct of Shri Abhay Singh Chautala towards other member(s) remained unwarranted and unparliamentary, while he was speaking in the House. I request that the matter may be referred to the Committee of Privileges for presenting its report in the first sitting of the next session.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय ने मध्याह्न–पश्चात् 12:44 बजे से लेकर दोपहर के भोजन अवकाश तक के लिए सभा स्थगित होने तक तथा मध्याह्न–पश्चात् 3:55 बजे से सभा की कार्यवाही स्थगित होने तक सदन की अध्यक्षता की।

उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की राय से सायं 6 बजे, सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया ।

तब सभा बुधवार, 22 फरवरी, 2023 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

....

बुलेटिन संख्या–3

बुधवार, 22 फरवरी, 2023
(प्रातः 11.00 बजे से सायं 6:39 बजे तक)

1. प्रश्न

(क) तारांकितः

क्रम पत्र पर कुल संख्या	उत्तरित	न पूछे गए	स्थगित किए गए	अनुपूरकों की संख्या
20	13	3	–	20

शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए समझे गए तथा उनके उत्तर सदन की मेज पर रखे गए।

(ख) अतारांकितः 40

2. **सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में सूचना देना।**

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि–

(क) उन्हें श्री भव्य बिश्नोई, विधायक से पत्र के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे निजी व्यस्तता के चलते दिनांक 22 फरवरी एवं 23 फरवरी, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(ख) उन्हें श्री सुरेन्द्र पंवार, विधायक से ई-मेल के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 22 फरवरी, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(ग) उन्हें श्री संदीप सिंह, मुद्रण तथा लेखन सामग्री राज्य मंत्री से ई-मेल के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे बीमार होने के कारण दिनांक 22 फरवरी, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

3. **राजकीय आरोही मॉडल स्कूल, ग्योंग, जिला कैथल, राजकीय आरोही मॉडल स्कूल, घासो खुर्द, जिला जीन्द एवं राजकीय आरोही मॉडल स्कूल, रामगढ़ पांडवा के विद्यार्थियों तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन।**

अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से राजकीय आरोही मॉडल स्कूल, गोंग, जिला कैथल, राजकीय आरोही मॉडल स्कूल, घासो खुर्द, जिला जीन्द एवं राजकीय आरोही मॉडल स्कूल, रामगढ़ पांडवा के विद्यार्थियों तथा अध्यापकगण, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

श्रीमती गीता भुक्कल, विधायक ने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि जब आप आरोही मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों का सदन में आने पर अभिन्नदन कर ही रहे हैं तो मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि इन स्कूलों के बच्चों की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण की तरफ भी सरकार ध्यान दे।

4. हरियाणा विधान सभा सचिवालय में हिन्दी भाषा में कार्य करने के संबंध में सूचना।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि प्रायः ऐसा देखने में आ रहा था कि हरियाणा विधान सभा सचिवालय का अधिकतर कार्य मुख्यतः अंग्रेजी भाषा में ही किया जा रहा था जबकि हरियाणा राज्य में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा हिन्दी है और हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए यह आवश्यक है कि हिन्दी भाषा का प्रयोग हमारे दिन प्रतिदिन के कामकाज में किया जाए।

उन्होंने सदन को यह भी सूचित किया कि हिन्दी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए अब उन्होने हरियाणा विधान सभा सचिवालय में भी अधिकारिक कार्य/निर्देशों, परिपत्र, अधिसूचना, नोटिंग (टिप्पणी लेखन) तथा सत्र का कार्य तत्काल प्रभाव से हिन्दी भाषा में किये जाने के आदेश दिये हैं। उन्होने सदन को यह भी बताया कि कार्यालय में जो पत्र हिन्दी भाषा में आते हैं उनका जवाब हिन्दी भाषा में ही दिया जाए लेकिन दूसरे राज्यों से पत्राचार एवं कुछ कानूनी दस्तावेजों के संबंध में ही केवल अंग्रेजी भाषा में कामकाज किया जा सकता है।

5. अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के राजस्थान के जयपुर में आयोजित 83वें सम्मेलन में पारित किये गए 9 संकल्पों के बारे में सदन को सूचित करना।

अध्यक्ष महोदय ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के राजस्थान के जयपुर में आयोजित 83वें सम्मेलन में पारित किये गए 9 संकल्पों के बारे में सदन को सूचित किया और साथ ही उन्होने सदन को यह भी बताया कि इन 9 संकल्पों के बारे में यह सदन अब तक क्या क्या कार्यवाही कर रहा है।

6. शून्यकाल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि कल शून्यकाल में भाग न ले पाने वाले 10 सदस्यों को आज बोलने के लिए समय दिया जाएगा। इसके अलावा आज के शून्यकाल में बोलने वाले सदस्यों की सूची में जिन सदस्यों के नाम हैं उनको भी आज बोलने का मौका दिया जाएगा लेकिन यदि कुछ सदस्य आज शून्यकाल में बोलने से रह जाएंगे तो फिर उनको अगले किसी दिन शून्यकाल में बोलने का समय दिया जाएगा।

7. ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों/गैर सरकारी संकल्पों/अल्पावधि चर्चा के प्रस्तावों और प्राईवेट मैम्बर बिल के बारे में सूचना।

जब इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री वरूण चौधरी ने उनकी पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्तावों/गैर सरकारी संकल्पों/अल्पावधि चर्चा के प्रस्तावों और प्राईवेट मैम्बर बिल की सूचनाओं का परिणाम जानना चाहा तो अध्यक्ष महोदय ने उन्हें सूचित किया कि या तो उन्हें स्वीकार कर लिया गया है या सरकार की टिप्पणी के लिए भेज दिया गया है या विचाराधीन हैं।

8. **शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगें उठाना।**

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों/मांगों को उठाने की अनुमति दी। तत्पश्चात्, सर्वश्री सुभाष गांगोली, बलबीर सिंह, सत्य प्रकाश जरावता, जगदीश नायर, मोहम्मद इलियास, शमशेर सिंह गोगी, मामन खान, भारत भूषण बत्रा, राव चिरंजीव, नयन पाल रावत, सोमबीर सांगवान और असीम गोयल ने उन से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न मामलों/मांगों को उठाया।

9. **बैठक का स्थगन।**

उपाध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि दोपहर के भोजन अवकाश के लिए सदन 1 घण्टे के लिए स्थगित रहेगा।

तत्पश्चात सदन मध्याहन–पश्चात् 1:30 बजे 1 घण्टे के लिए स्थगित हुआ तथा मध्याहन–पश्चात् 2:30 बजे पुनः समवेत हुआ।

(जब सदन समवेत हुआ तो अध्यक्ष महोदय ने सदन की अध्यक्षता की।)

10. **ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य**

"राज्य में स्टिल्ट प्लस चार मंजिला घरों के निर्माण के विरोध से संबंधित"

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्री वरूण चौधरी, विधायक तथा 2 अन्य विधायकों सर्व श्री भारत भूषण बतरा तथा आफताब अहमद से राज्य में स्टिल्ट प्लस चार मंजिला घरों के निर्माण के विरोध से संबंधित अल्प अवधि सूचना संख्या 1 प्राप्त हुई है, जिसे उन्होने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 50 में परिवर्तित करके स्वीकृत कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 42, जो कि श्री नीरज शर्मा, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण उन्होने इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 50 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री नीरज शर्मा, विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

उन्होने आगे श्री वरूण चौधरी, विधायक को प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढ़ने तथा इसके बाद संबंधित मंत्री से इस बारे में वक्तव्य देने के लिए कहा।

श्री वरूण चौधरी ने अपनी सूचना पढी।

तब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया।

11. **पंजाब विधान सभा के सदस्य तथा श्री मनीराम गोदारा राजकीय महाविद्यालय भोड़िया खेड़ा के विद्यार्थियों तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन।**

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से–

(क) श्री गुरमीत सिंह, सदस्य, पंजाब विधान सभा, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए सदन की विशिष्ट दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

(ख) श्री मनीराम गोदारा राजकीय महाविद्यालय, भोड़िया खेड़ा के विद्यार्थियों तथा अध्यापकगण, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

12. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ हुई।

मंत्रीपक्ष के सदस्य सर्वश्री हरविन्द्र कल्याण, राम कुमार गौतम, लक्ष्मण सिंह यादव, राम कुमार कश्यप, जगदीश नायर, अमरजीत ढांडा, नरेन्द्र गुप्ता, विनोद भ्याना, जोगीराम सिहाग, महीपाल ढांडा, प्रवीण डागर और दुड़ा राम ने क्रमशः 6, 6, 5, 4, 6, 5, 5, 6, 6, 11, 6 और 05 मिनट्स भाषण दिया।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्रीमती किरण चौधरी, श्री इन्दुराज, श्रीमती शैली, श्री मेवा सिंह, श्री शीशपाल सिंह केहरवाला, श्री नीरज शर्मा, श्री बलबीर सिंह, श्री धर्म सिंह छौक्कर और श्री प्रदीप चौधरी ने क्रमशः 6, 5, 5, 6, 7, 6, 6, 5 और 05 मिनट्स भाषण दिया।

मुख्यमंत्री महोदय ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए 81 मिनट्स भाषण दिया ।

इसके बाद प्रस्ताव–

> ''कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाएः–
>
> > 'कि इस सत्र में इकठ्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 20 फरवरी, 2023 को प्रातः 11.00 बजे सदन में देने की कृपा की है।'।"

रखा गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

13. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण एवं बजट की हार्ड कॉपीज सदस्यों को देने के संबंध में अनुरोध करना।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री आफताब अहमद ने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण एवं बजट की हार्ड कॉपीज सदस्यों को दी जाएं ।

14. नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2022–2023 के लिए अनुपूरक अनुमान (तीसरी किस्त) प्रस्तुत करना।

मुख्यमंत्री महोदय ने नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2022–23 (तीसरी किस्त) के लिए अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किये।

15. नेवा पोर्टल के माध्यम से प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

प्राक्कलन समिति के चेयरपर्सन, श्री हरविन्द्र कल्याण ने नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2022–23 के अनुपूरक अनुमानों (तीसरी किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

16. **वर्ष 2022–2023 के लिए अनुपूरक अनुमानों (तीसरी किस्त) की मांगो पर चर्चा तथा मतदान।**

अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को बताया कि पूर्व प्रथानुसार तथा सदन का समय बचाने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गईं सभी मांगें (संख्या 7, 12 और 19) एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी गई तथा अनुपूरक मांगों पर सामान्य चर्चा की अनुमति दी गई। अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से कहा कि वे हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 201 के तहत किसी भी मांग पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन अनुपूरक अनुदानों पर बहस उन मुद्दों तक ही सीमित रहेगी जिनसे वे बनी हों और जहां तक विचाराधीन विशेष मुद्दों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो, उस सीमा तक, मूल अनुदानों पर या उनसे संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी। उन्होंने सदस्यों से पुनः निवेदन किया कि वे उस मांग का क्रमांक बता दें जिस पर वे चर्चा करना चाहते हैं।

(कोई भी सदस्य बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ)

मांग संख्या 7 रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

मांग संख्या 12 रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

मांग संख्या 19 रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

17. **नियम 121 के अधीन प्रस्ताव (वर्ष 2023–2024 के लिए वित्तीय समितियों के गठन संबंधी)**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया –

कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध जहां तक कि वेः–

(v) लोक लेखा समिति;

(vi) प्राक्कलन समिति;

(vii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति; तथा

(viii) अनुसूचित जातियों, जन–जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति

के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2023–2024 के लिए निलंबित किया जाए।

उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया–

कि यह सदन, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों, ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023–2024 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें।

प्रस्ताव रखा गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

18. नेवा पोर्टल के माध्यम से हरियाणा पुलिस संशोधन विधेयक, 2022 पर प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

प्रवर समिति के चेयरपर्सन (उपाध्यक्ष, श्री रणबीर सिंह गंगवा) ने हरियाणा पुलिस संशोधन विधेयक, 2022 पर प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

अध्यक्ष महोदय ने, सदन की राय से, सदन की बैठक का समय निम्नानुसार बढ़ायाः—

1. सायं 6 बजे 30 मिनट्स के लिए ।
2. सायं 6:30 बजे 30 मिनट्स के लिए ।

सभापतियों के नामों की सूची में से एक सदस्या श्रीमती सीमा त्रिखा ने मध्याह्न पश्चात 12:25 बजे से लेकर 12:32 बजे तक तथा उपाध्यक्ष महोदय ने मध्याह्न पश्चात 12:32 बजे से लेकर सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए स्थगित होने तक और मध्याह्न पश्चात 3:38 बजे से लेकर सायं 5:01 बजे तक सदन की अध्यक्षता की।

तब सभा वीरवार, 23 फरवरी, 2023 को प्रातः 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

....

बुलेटिन संख्या–4

वीरवार, 23 फरवरी, 2023
(प्रातः 11.00 बजे से मध्याह्न–पश्चात 1:15 बजे तक)

1. हरियाणा के भूतपूर्व मंत्रियों तथा हरको बैंक के चेयरपर्सन का अभिनंदन।

अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से हरियाणा के भूतपूर्व मंत्रियों श्री जसवंत सिंह बावल, कैप्टन अभिमन्यु और हरको बैंक के चेयरपर्सन श्री हुकुम सिंह भाटी, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनंदन किया।

2. सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में सूचना देना।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि–

(क) उन्हें श्रीमती किरण चौधरी, विधायक से पत्र के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए रायपुर जाना है इसलिए वे दिनांक 23 फरवरी, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकती हैं।

(ख) उन्हें श्री संदीप सिंह, मुद्रण तथा लेखन सामग्री राज्य मंत्री से ई-मेल के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे बीमार होने के कारण दिनांक 23 फरवरी, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

3. नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना।

मुख्यमंत्री ने नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत किये।

4. गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, पॉकेट नं. 1, मनीमाजरा, चण्डीगढ, यू.टी. के विद्यार्थियों और अध्यापकगणों, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों तथा हरियाणा पयर्टन विकास निगम लिमिटेड के चेयरपर्सन का अभिनन्दन।

वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमान की प्रस्तुती के दौरान, अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से–

(क) गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, पॉकेट नं. 1, मनीमाजरा, चण्डीगढ, यू.टी. के विद्यार्थियों और अध्यापकगण, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

(ख) श्री सूबे सिंह पुनिया, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

(ग) श्री अरविन्द यादव, चेयरपर्सन, हरियाणा पयर्टन विकास निगम लिमिटेड, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

(घ) श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

5. **हरियाणा विधान सभा की 8 विभागीय स्थाई समितियों के गठन के संबंध में घोषणा।**

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में कई विभागों का आपस में विलय किया गया है जिसके कारण कुछ विभागों के नामों के साथ साथ मांग संख्या में भी बदलाव हो गया है इसलिए उन्होने हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 190 (क) (2) के अनुसार कुछ विभागों के बदले हुए नाम और मांग संख्या के अनुसार 8 विभागीय स्थाई समितियों के गठन के बारे में घोषणा करते हुए कहा कि इनकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

तब सभा शुक्रवार, 17 मार्च, 2023 को प्रातः 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

....

बुलेटिन संख्या–5

शुक्रवार, 17 मार्च, 2023
(प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.16 बजे तक)

1. **शोक प्रस्ताव**

मुख्यमंत्री ने स्वर्गीयः–

17. श्री भूपिन्दर चौधरी, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य;
18. श्री सतीश कौशिक, प्रसिद्ध अभिनेता;
19. हरियाणा के शहीद;
20. अन्य।

के देहावसान का उल्लेख किया तथा 04 मिनट भाषण दिया।

प्रतिपक्ष के नेता, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, ने 03 मिनट भाषण दिया।
अध्यक्ष महोदय ने भी सदन में अभिव्यक्त की गई भावनाओं के साथ अपने आप को सम्मिलित किया तथा 1 मिनट भाषण दिया।

यह निश्चय किया गया कि शोक संतप्त परिवारों को संवेदना संदेश भेजे जाएं।

दिवंगतों की पुण्य–स्मृति के प्रति सम्मान के रूप में सभा ने खड़े होकर कुछ समय के लिए मौन धारण किया।

2. **हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन।**
अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रामचन्द्र कम्बोज, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए सदन की अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

3. **प्रश्न**

(क) तारांकितः

क्रम पत्र पर कुल संख्या	उत्तरित	न पूछे गए	स्थगित किए गए	अनुपूरकों की संख्या
20	12	—	—	15

शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए समझे गए तथा उनके उत्तर सदन की मेज पर रखे गए।

(ख) अतारांकितः 21

4. **वाक आउट**

प्रश्न काल के दौरान इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला, उनके तारांकित प्रश्न संख्या 44 का सरकार द्वारा संतोषजनक जवाब न दिए जाने और अध्यक्ष महोदय द्वारा उनके प्रश्न के दौरान इंट्रप्शन करने के विरोध स्वरूप सदन से वाक आउट कर गए।

5. **नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, चण्डीगढ़ के विद्यार्थियों का अभिनन्दन।**
अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, चण्डीगढ़ के विधार्थी, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए सदन की दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

6. **सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में सूचना देना।**

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि–

(क) उन्हें श्री अनिल विज, माननीय गृह मंत्री, हरियाणा से पत्र के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे अस्वस्थ्य होने के कारण आज दिनांक 17 मार्च, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(ख) उन्हें श्रीमती नैना सिंह चौटाला, विधायक से पत्र के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ जरूरी घरेलू दायित्वों के कारण वे आज दिनांक 17 मार्च, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकती हैं।

(ग) उन्हें श्री रणजीत सिंह, माननीय ऊर्जा मंत्री, हरियाणा से दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि घरेलू कार्य होने के कारण वे आज दिनांक 17 मार्च, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

7. **हरियाणा विधान सभा के सदस्य को उनके जन्म दिन की बधाई देना।**

अध्यक्ष महोदय ने सदन की तरफ से श्री राकेश दौलताबाद, विधायक को उनके जन्म दिन के अवसर पर हार्दिक बधाई दी और कहा कि यह सदन उनके स्वस्थ जीवन, उज्जवल भविष्य और दीर्घ आयु की कामना करता है।

8. **सचिव द्वारा घोषणा।**

सचिव महोदय ने निम्नलिखित विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने दिसम्बर, 2022 में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, नेवा पोर्टल के माध्यम से सादर सदन की मेज पर रखने की घोषणा की।

दिसम्बर–सत्र, 2022

13. हरियाणा लघु नहर (निरसन) विधेयक, 2022.

14. हरियाणा राज्य नलकूप (निरसन) विधेयक, 2022.

9. **राज्यपाल महोदय से संदेश।**

अध्यक्ष महोदय ने 22 फरवरी, 2023 को हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में माननीय राज्यपाल महोदय, हरियाणा से प्राप्त संदेश को सदन में पढ़कर सुनाया जिसमें उन्होनें हरियाणा विधानसभा के सभी सम्मानित सदस्यों की सराहना और आभार व्यक्त किया है।

10. **शून्यकाल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना।**

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज अर्थात् 17 मार्च, 2023 को शून्यकाल में वे सभी सदस्य अपनी बात रखेंगे जो पिछली बार भाग लेने से रह गए थे। उनके नाम हैं सर्व श्री मोहन लाल बड़ौली, कुलदीप वत्स, ईश्वर सिंह, बिशम्बर सिंह, श्रीमती निर्मल रानी, श्रीमती किरण चौधरी, श्रीमती गीता भुक्कल, घनश्याम सर्राफ, राव दान सिंह, लीला राम, नरेन्द्र गुप्ता, बलराज कुंडू, अमित सिहाग, प्रमोद कुमार विज, प्रदीप चौधरी, राम निवास, राम करण, राकेश दौलताबाद, घनश्याम दास अरोड़ा, राम कुमार कश्यप, अमरजीत ढांडा और दीपक मंगला।

11. **मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह पर लगे आरोपों से संबंधित मामला उठाना।**

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के विधायक श्री आफताब अहमद एवं उनकी पार्टी के कई अन्य विधायकों ने मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह पर लगे आरोपों से संबंधित मामला उठाने और उनसे इस बारे में स्पष्टीकरण लेने की कोशिश की लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि चूंकि इस मामले की अभी जांच चल रही है इसलिए इस मामले पर सदन में चर्चा नहीं की जानी चाहिए और जो भी अब तक इस विषय पर चर्चा हुई है, उसको सदन की कार्यवाही में से निकलवाया जाना चाहिए। इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने आदेश देते हुए कहा कि इस मामले पर सदन में अब तक जो भी चर्चा हुई है उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

12. **वाक आउट।**

सदन में उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह पर लगे आरोपों से संबंधित उनके द्वारा सदन में स्पष्टीकरण न दिए जाने के विरोध स्वरूप सदन से वाक आउट कर गए।

13. **शून्यकाल में विभिन्न मामलों/मांगों को उठाना।**

अध्यक्ष महोदय ने शून्यकाल में सदस्यों को अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विभिन्न मामलों/मांगों को उठाने की अनुमति दी। तत्पश्चात, सर्व श्री मोहन लाल बड़ौली, कुलदीप वत्स, ईश्वर सिंह, बिशम्बर सिंह, श्रीमती निर्मल रानी, श्रीमती गीता भुक्कल, घनश्याम सर्राफ, राव दान सिंह, लीला राम, नरेन्द्र गुप्ता, बलराज कुंडू अमित सिहाग और प्रमोद कुमार विज ने क्रमशः अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विभिन्न मामले/मांगें उठाई।

14. **बैठक का स्थगन।**

उपाध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि दोपहर के भोजन अवकाश के लिए सदन 47 मिनट्स के लिए स्थगित रहेगा।

तत्पश्चात सदन मध्याहन–पश्चात् 1:28 बजे से 47 मिनट्स के लिए स्थगित हुआ तथा मध्याह्न–पश्चात् 2:15 बजे पुनः समवेत हुआ।

(जब सदन समवेत हुआ तो श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)

15. **गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज, सैक्टर 32–सी., चण्डीगढ़ के विद्यार्थियों तथा फैकल्टी मैम्बर का अभिनन्दन।**

अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज, सैक्टर 32–सी., चण्डीगढ़ के विद्यार्थी तथा फैकल्टी मैम्बर, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए सदन की दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

16. **विधानमंडलों की आंतरिक कार्यवाहियों में सर्वोच्च न्यायालय/ उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप न करने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करना।**

संसदीय कार्य मंत्री ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:–

"सदन की कार्यवाही के दौरान दिनांक 21 फरवरी, 2023 को श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक ने सदन की कार्यवाही में बाधा डाली तथा अनादरपूर्ण व्यवहार किया, सदन की गरिमा तथा अध्यक्ष पीठ के प्राधिकार की उपेक्षा की जोकि सभा के नियमों का उल्लघंन है। उनके इस व्यवहार एवं नियमों के उल्लघंन के लिए उन्हें सदन से दो दिन के लिए नेम

किया गया था। श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा इस विषय पर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। जिसका नोटिस विधान सभा सचिवालय में प्राप्त हुआ है जोकि संविधान के अनुच्छेद 212 के अनुरूप नहीं है।

इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के समय–समय पर हुए फैसलों तथा अनुच्छेद 212 के अनुसार न्यायालयों द्वारा विधान–मंडल की कार्यवाहियों की जांच नहीं की जा सकती है।

इसलिए मैं इस विषय पर प्रस्ताव करता हूं कि श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका से प्राप्त नोटिस को स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि यह विधान मंडल की आंतरिक कार्यवाही में हस्ताक्षेप है। इसलिए उच्च न्यायालय के नोटिस को नजर अंदाज किया जाना चाहिए तथा उसका जवाब नहीं देना चाहिए।"

इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला ने भी इस विषय पर अपनी बात रखी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री नीरज शर्मा ने भी इस विषय पर अपनी बात रखी।

निर्दलीय सदस्य श्री बलराज कुन्डु ने भी इस विषय पर अपनी बात रखी।

(प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ)

17. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य

"राज्य में कोरोना महामारी तथा लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाले की जांच के लिए गठित एस. ई. टी. की रिपोर्ट की स्थिति से संबंधित"

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक से राज्य में कोरोना महामारी तथा लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाले की जांच के लिए गठित एस. ई. टी. की रिपोर्ट की स्थिति से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 13 प्राप्त हुई है, जिसे उन्होंने स्वीकृत कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 57, जो कि श्री नीरज शर्मा, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण उन्होंने इसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 13 के साथ जोड़ दिया है। श्री नीरज शर्मा, विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

उन्होंने आगे श्री अभय सिंह चौटाला, विधायक को अपनी सूचना पढ़ने तथा इसके बाद संबंधित मंत्री से इस बारे में वक्तव्य देने के लिए कहा।

श्री अभय सिंह चौटाला ने अपनी सूचना पढ़ी।

तब उप मुख्यमंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया।

18. दिनांक 17.3.2023 में सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 44 की भाषा में बदलाव करने बारे मामला उठाना ।

जैसे ही अध्यक्ष महोदय ने श्री अभय सिंह चौटाला को अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ने के लिए कहा उस समय इंडियन नैशनल लोकदल के सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला ने आज के लिए सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 44 की भाषा में बदलाव करने बारे मामला उठाया और अध्यक्ष महोदय से जानना चाहा कि उनके इस प्रश्न की भाषा में बदलाव क्यों किया गया है । उनका कहना था

कि उन्होंने तो यह प्रश्न कृषि मंत्री के नाम भेजा था लेकिन इसमें कृषि मंत्री के स्थान पर सहकारिता मंत्री कर दिया गया है । उन्होंने यह भी कहा कि पिछले सैशन में भी उनके प्रश्न की भाषा में बदलाव किया गया था और इस बार भी उनके प्रश्न की भाषा में बदलाव किया गया है । उन्होंने इस बारे में जांच कराने की भी बात कही ।

अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य को बताया कि कई बार ऐसा होता है कि जिस विभाग को प्रश्न भेजा जाता है वह विभाग वह प्रश्न दूसरे विभाग को डायवर्ट कर देता है, फिर भी इस बारे में पता करवाकर माननीय सदस्य को जानकारी दे दी जाएगी ।

19. असंसदीय शब्दों की सूची माननीय सदस्यों को उपलब्ध करवाने बारे सूचित करना ।

अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों को सूचित किया कि वे असंसदीय शब्दों की सूची इस सदन के सभी सदस्यों को कल उपलब्ध करवा देंगे ।

20. वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदान की मांगों पर विभागीय स्थायी समितियों संबंधी रिपोर्ट्स नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना।

अध्यक्ष महोदय ने, सदन की अनुमति से, स्थायी समितियों के चेयरपर्सन्ज को स्थायी समितियों की रिपोर्ट्स निम्नानुसार प्रस्तुत करने की अनुमति दीः–

(क) लोक प्रशासन तथा शासन संबंधी स्थायी समिति की चेयरपर्सन (श्रीमती गीता भुक्कल) ने वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 1, 2, 3 तथा 4 पर लोक प्रशासन तथा शासन संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(ख) कानून एवं व्यवस्था तथा सुरक्षा संबंधी स्थायी समिति के चेयरपर्सन (श्री रणबीर गंगवा) ने वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 5 पर कानून एवं व्यवस्था तथा सुरक्षा संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(ग) वित्त संबंधी स्थायी समिति के चेयरपर्सन (श्री असीम गोयल) ने वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 6 तथा 7 पर वित्त संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(घ) कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधी स्थायी समिति के चेयरपर्सन (श्री घनश्याम दास अरोड़ा) ने वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 10 पर कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(ड़) खाद्य एवं सहकारी क्षेत्र संबंधी स्थायी समिति के चेयरपर्सन (श्री ईश्वर सिंह) ने वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 11 तथा 16 पर खाद्य एवं सहकारी क्षेत्र संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(च) मानव विकास एवं सामाजिक कल्याण संबंधी स्थायी समिति के सदस्य (श्री जगदीश नायर) ने वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 12, 13, 14 तथा 15 पर मानव विकास एवं सामाजिक कल्याण संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(छ) आधारभूत संरचना विकास संबंधी स्थायी समिति के चेयरपर्सन (श्री वरूण चौधरी) ने वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 17, 18 तथा 19 पर आधारभूत संरचना विकास संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(ज) क्षेत्रीय विकास एवं स्थानीय स्वशासन संबंधी स्थायी समिति के चेयरपर्सन (श्री प्रमोद कुमार विज) ने वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर अनुदानों के लिए मांग संख्या 20 पर क्षेत्रीय विकास एवं स्थानीय स्वशासन संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

21. ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना।

जब इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी की सदस्या श्रीमती किरण चौधरी ने उनके तथा उनकी पार्टी के सदस्यों द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाओं का परिणाम जानना चाहा तो अध्यक्ष महोदय ने उन्हें सूचित किया कि वे इस बारे में सारी जानकारी नेवा पोर्टल पर डाल दी गई है फिर भी वे इस बारे में कल सदन में जानकारी दे देंगे ।

जननायक जनता पार्टी के सदस्य श्री राम कुमार गौतम ने जब उनके द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का परिणाम जानना चाहा तो अध्यक्ष महोदय ने उन्हें सूचित किया कि उनका यह प्रस्ताव आज ही 12:00 बजे प्राप्त हुआ है।

22. वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा ।

वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा हुई।

मन्त्रीपक्ष के सदस्यगण श्री असीम गोयल नन्योला, श्री अभय सिंह यादव, श्री सत्य प्रकाश जरावता तथा श्री घनश्याम दास अरोड़ा ने क्रमशः 16, 19, 8 तथा 9 मिनट भाषण दिया।

इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण श्री भारत भूषण बत्तरा, श्री वरूण चौधरी तथा श्री सुरेन्द्र पंवार ने क्रमशः 30, 12 तथा 7 मिनट भाषण दिया।

23. विधायी कार्य

(क) (पुरःस्थापित, विचार तथा पारित किया जाने वाला विधेयक)

1. हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2023

5.10 बजे मध्याह्न–पश्चात् मुख्यमंत्री ने हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2023 प्रस्तुत किया तथा यह भी प्रस्ताव किया–

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2023 पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

तब विधेयक की क्लाजिज पर विचार किया गया।

क्लाज 2, क्लाज 3, शिड्यूल, क्लाज 1, इनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल एक–एक करके रखे गए तथा स्वीकृत हुए।

मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(ख) (पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक)

4. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023

5:15 बजे मध्याह्न–पश्चात् शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित किया ।

विधेयक पुरःस्थापित हुआ ।

5. पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2023

5:15 बजे मध्याह्न–पश्चात् उच्चतर शिक्षा मंत्री ने पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित किया ।

विधेयक पुरःस्थापित हुआ ।

6. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2023

5:16 बजे मध्याह्न–पश्चात् कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित किया ।

विधेयक पुरःस्थापित हुआ ।

24. भावान्तर योजना से संबंधित किसानों की सूची मुख्यमंत्री महोदय को सौंपने का मामला उठाना।

विधायी कार्य के दौरान इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य डा0 रघुवीर सिंह कादियान द्वारा भावान्तर योजना से संबंधित किसानों की एक सूची का मामला उठाया गया । उन्होंने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि वे यह सूची मुख्यमंत्री महोदय को सौंपना चाहते हैं । अध्यक्ष महोदय ने उनको कहा कि वे यह सूची मुख्यमंत्री महोदय को दे दें। इसके बाद उन्होंने वह लिस्ट मुख्यमंत्री महोदय को सौंप दीं ।

उपाध्यक्ष महोदय ने मध्याह्न–पश्चात् 12:25 बजे से लेकर दोपहर के भोजन अवकाश के लिए सभा स्थगित होने तक सदन की अध्यक्षता की।

तब सभा सोमवार, 20 मार्च, 2023 को प्रातः 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

....

बुलेटिन संख्या–6

सोमवार, 20 मार्च, 2023
(प्रातः11:00 बजे से सायं 6:10 बजे तक)

2. **प्रश्न**

(क) तारांकितः

क्रम पत्र पर कुल संख्या	उत्तरित	न पूछे गए	स्थगित किए गए	अनुपूरकों की संख्या
20	10	–	–	16

शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए समझे गए तथा उनके उत्तर सदन की मेज पर रखे गए।

(ख) अतारांकितः 12

2. **भूतपूर्व सांसद एवं भूतपूर्व विधायक तथा हरियाणा विधान सभा की भूतपूर्व सदस्या तथा उनकी बेटी और इंडियन मीडिया सैंटर, हरियाणा द्वारा हरियाणा के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र एवं वरिष्ठ पत्रकार का अभिनन्दन।**

प्रश्नकाल के दौरान अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से–

क. भूतपूर्व सांसद एवं भूतपूर्व विधायक श्री कुलदीप बिश्नोई तथा हरियाणा विधान सभा की भूतपूर्व सदस्या श्रीमती रेणुका बिश्नोई और उनकी पुत्री सिया बिश्नोई, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए सदन की अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

ख. इंडियन मीडिया सैंटर, हरियाणा द्वारा हरियाणा के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र एवं वरिष्ठ पत्रकार, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए सदन की दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

3. **सदस्य को नामित करना।**

प्रश्नकाल के दौरान जब अध्यक्ष महोदय ने श्री अभय सिंह चौटाला से अपने तारांकित प्रश्न संख्या 67 पर अपने प्रश्न से सम्बन्धित ही अनुपूरक प्रश्न पूछने को कहा तो श्री अभय सिंह चौटाला अध्यक्ष महोदय से बहस करने लगे और उन पर पक्षपात का आरोप लगाने लगे इस पर अध्यक्ष महोदय ने उनको कहा कि आपका यह व्यवहार सदन की मर्यादा के अनुसार नहीं है तथा आप इस तरह से अध्यक्ष से बहस नहीं कर सकते परंतु श्री अभय सिंह चौटाला अध्यक्ष महोदय से लगातार बहस करते रहे और सदन की कार्यवाही को बाधित करते रहे । अध्यक्ष महोदय ने उनको बार बार कहा कि वे इस तरह से सदन की कार्यवाही को बाधित ना करें और केवल अपने प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न ही पूछें । लेकिन जब श्री अभय सिंह चौटाला ने ऐसा नहीं किया तो इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने श्री अभय सिंह चौटाला को सदन से बाहर जाने के लिए कहा लेकिन वे सदन से बाहर नहीं गए और अध्यक्ष महोदय से तर्क वितर्क करते रहे। इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने उनको आज दिनांक 20.3.2023 के लिए नेम करते हुए पुनः सदन से बाहर जाने के लिए कहा । कुछ देर बाद श्री अभय सिंह चौटाला अध्यक्ष महोदय से तर्क वितर्क करते हुए स्वयं ही सदन से बाहर चले गए।

4. **राज्य में भारी बरसात और ओला वृष्टि से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाने का मामला उठाना ।**

श्रीमती गीता भुक्कल एवं उनकी पार्टी के कुछ अन्य सदस्यों ने हाल ही में राज्य में हुई भारी बरसात और ओला वृष्टि से खराब हुई फसलों की गिरदावरी करवाने का मामला उठाते हुए अध्यक्ष महोदय से मांग की कि इस सम्बन्ध में उनकी तथा उनकी पार्टी की तरफ से जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए गए हैं उनको स्वीकार करते हुए चर्चा करवाई जाए ।

अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों को सूचित किया कि कल या परसों जो राज्य में भारी बरसात और ओला वृष्टि से फसलें खराब हुई हैं और उनसे सम्बन्धित जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए गए हैं उनको स्वीकार कर लिया गया है ।

5. **प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्न संख्या 71 न लगने सम्बन्धित मामला उठाना ।**

श्री नीरज शर्मा ने अध्यक्ष महोदय से कहा कि प्रश्नकाल के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा में जो समय खराब होता है उस समय को प्रश्नकाल में शामिल न किया जाए क्योंकि आज उनका प्रश्न 11वें नम्बर पर सूचीबद्ध था लेकिन प्रश्नकाल में बहस की वजह से समय खराब होने के कारण उनके प्रश्न का नम्बर नहीं आ पाया क्योंकि प्रश्नकाल 10वें प्रश्न के बाद समाप्त हो गया।

अध्यक्ष महोदय ने सदन के सभी सदस्यों से निवेदन किया कि प्रश्नकाल के दौरान सभी सदस्य अपने प्रश्न पर दो ही अनुपूरक प्रश्न पूछें ताकि सदन का समय खराब न हो अन्यथा इसका खामियाजा उन सदस्यों को भुगतना पड़ता है जिनके प्रश्न बाद में लगे होते हैं।

6. **सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में सूचना देना।**

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि–

(क) उन्हें श्री अनिल विज, माननीय गृह मंत्री, हरियाणा से पत्र के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अस्वस्थ्य होने के कारण वे आज दिनांक 20 मार्च, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(ख) उन्हें श्री गोपाल कांडा, विधायक से पत्र के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आवश्यक पारिवारिक कारणों के चलते वे आज दिनांक 20 मार्च, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(ग) उन्हें श्री संदीप सिंह, माननीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री राज्य मंत्री, हरियाणा से ई–मेल के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ अपरिहार्य व्यक्तिगत कार्य होने के कारण वे आज दिनांक 20 मार्च, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(घ) उन्हें श्रीमती नैना सिंह चौटाला, विधायक से पत्र के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ लम्बित घरेलू दायित्वों के कारण वे आज दिनांक 20 मार्च, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकती है।

(ड़) उन्हें श्री सुधीर सिंगला, विधायक से पत्र के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अस्वस्थ होने के कारण वे आज दिनांक 20 मार्च, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

7. **शून्यकाल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना।**

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि शून्यकाल में वे सभी सदस्य आज अपनी बात रखेंगे जो 17 मार्च, 2023 को भाग लेने से रह गए थे। उनके नाम हैं सर्वश्री/श्रीमती किरण चौधरी, प्रदीप चौधरी, राम निवास, रामकरण, राकेश दौलताबाद, घनश्याम दास अरोड़ा, राम कुमार कश्यप, अमरजीत ढांडा और दीपक मंगला। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय ने सदन में उन सदस्यों के नामों के बारे में भी बताया जिनका नाम दिनांक 17.3.2023 और 20.3.2023 को शून्यकाल में बोलने के लिए ड्रा में निकला है ।

8. **ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के बारे में सूचना देना।**

जब इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री आफताब अहमद तथा उनकी पार्टी के कुछ सदस्यों और जननायक जनता पार्टी के सदस्य श्री रामकुमार गौतम ने उनके द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाओं का परिणाम जानना चाहा तो अध्यक्ष महोदय ने उन्हें सूचित किया कि या तो उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया है या स्वीकार कर लिया गया है या सरकार के पास टिप्पणी के लिए भेज दिया गया है या विचाराधीन हैं।

9. **शून्यकाल में विभिन्न मामलों/मांगों को उठाना।**

अध्यक्ष महोदय ने शून्यकाल में सदस्यों को अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विभिन्न मामलों/मांगों को उठाने की अनुमति दी। तत्पश्चात्, सर्वश्री प्रदीप चौधरी, राम निवास, रामकरण, राकेश दौलताबाद, राम कुमार कश्यप, अमरजीत ढांडा, दीपक मंगला, डा. अभय सिंह यादव, वरूण चौधरी, श्रीमती शैली, मेवा सिंह, असीम गोयल और सुभाष गांगोली ने क्रमशः अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विभिन्न मामले/मांगें उठाई।

10. **नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, चण्डीगढ़ के विद्यार्थियों तथा हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन।**

शून्य काल के दौरान अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से –

नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, चण्डीगढ़ के विधार्थी, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए सदन की दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

श्री सूबे सिंह पुनिया, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए सदन की अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

11. **बैठक का स्थगन।**

उपाध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि दोपहर के भोजन अवकाश के लिए सदन एक घंटे के लिए स्थगित रहेगा।

तत्पश्चात् सदन मध्याहन–पश्चात् 1:13 बजे से एक घंटे के लिए स्थगित हुआ तथा मध्याह्न–पश्चात् 2:13 बजे पुनः समवेत हुआ।

(जब सदन समवेत हुआ तो श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

12. **वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनरारम्भ।**

वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनरारम्भ हुई।

मन्त्रीपक्ष के सदस्य सर्वश्री भव्य बिश्नोई, ईश्वर सिंह, दीपक मंगला, जोगी राम सिहाग, कृष्ण लाल मिड्ढा, जगदीश नायर, रामकरण, सुभाष सुधा, श्रीमती निर्मल रानी, दुड़ा राम, नरेन्द्र गुप्ता और लक्ष्मण सिंह यादव ने क्रमशः 20, 16, 11, 15, 8, 8, 3, 8, 6, 7, 8 तथा 7 मिनट्स भाषण दिया।

इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्रीमती किरण चौधरी, श्रीमती गीता भुक्कल, श्री आफताब अहमद, श्रीमती रेनू बाला, श्री मामन खान, श्री सुभाष गांगोली और मोहम्मद इलियास ने क्रमशः 19, 16, 10, 7, 7, 6, तथा 6 मिनट्स भाषण दिया।

निर्दलीय सदस्य श्री रणधीर सिंह गोलन, श्री बलराज कुण्डु और राकेश दौलताबाद ने क्रमशः 6, 12 तथा 6 मिनट्स भाषण दिया।

12. **चौधरी मनीराम गोदारा राजकीय महिला महाविद्यालय, भोड़िया खेड़ा, जिला फतेहाबाद के विद्यार्थियों तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन।**

वर्ष 2023–2024 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा के दौरान उपाध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से चौधरी मनीराम गोदारा राजकीय महिला महाविद्यालय, भोड़िया खेड़ा जिला फतेहाबाद के विद्यार्थी तथा अध्यापकगण, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए सदन की दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

14. **विधायी कार्य**

(क) (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

7. **हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023.**

5:45 बजे सायं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने प्रस्ताव किया–

कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 पर तुरन्त विचार किया जाए।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य सर्वश्री वरूण चौधरी, नीरज शर्मा और भारत भूषण बतरा ने क्रमशः 3, 1 और 1 मिनट्स भाषण दिया।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने उत्तर देते हुए 2 मिनट्स भाषण दिया।

मुख्यमंत्री ने भी इस विधेयक पर क्लैरीफाई करते हुए 2 मिनट्स भाषण दिया।

15. **हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 को स्थगितकरण करना।**

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार के समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री वरूण चौधरी और श्री भारत भूषण बतरा के सुझाव पर और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री तथा मुख्यमंत्री द्वारा सहमति व्यक्त करने के बाद अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 का कल तक के लिए स्थगितकरण किया जाता है।

16. विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

8. **पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2023**

5:56 बजे सायं उच्चतर शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया–

> कि पंडित लखमी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2023 पर तुरंत विचार किया जाए।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री जगबीर सिंह मलिक एवं श्री नीरज शर्मा ने क्रमशः कुछ पल के लिए तथा 2 मिनट भाषण दिया।

उच्चतर शिक्षा मंत्री ने उत्तर देते हुए कुछ पल के लिए भाषण दिया।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

तब विधेयक की क्लाजिज पर विचार किया गया।

क्लाजिज 2 से 5 एक साथ रखी गई तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।

क्लाज 1, इनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल एक–एक करके रखे गए तथा स्वीकृत हुए।

उच्चतर शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया–

> कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

9. **हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2023**

6:02 बजे सायं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया–

> कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर तुरंत विचार किया जाए।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री भारत भूषण बतरा और श्री नीरज शर्मा ने क्रमशः 1 तथा 2 मिनट्स भाषण दिया।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने उत्तर देते हुए 2 मिनट्स भाषण दिया।

मुख्यमंत्री ने इस विधेयक पर क्लैरीफाई करते हुए 2 मिनट्स भाषण दिया।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

तब विधेयक की क्लाजिज पर विचार किया गया।

क्लाज 2, क्लाज 3, क्लाज 1, इनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल एक–एक करके रखे गए तथा स्वीकृत हुए।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया–

> कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(ख) (पुरःस्थापित किये जाने वाला विधेयक)

हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023

6:10 बजे सायं स्कूल शिक्षा मंत्री ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित किया ।

विधेयक पुरःस्थापित हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय ने मध्याह्न–पश्चात् 12.59 बजे से लेकर दोपहर के भोजन अवकाश के लिए सभा स्थगित होने तक तथा मध्याह्न–पश्चात् सदन पुनः समवेत होने से लेकर मध्याह्न–पश्चात् 3.54 बजे तक सदन की अध्यक्षता की।

अध्यक्ष महोदय ने सायं 6 बजे सदन की राय से, सदन की बैठक का समय 15 मिनट्स के लिए बढ़ाया।

तब सभा मंगलवार, 21 मार्च, 2023 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

....

बुलेटिन संख्या–7

मंगलवार, 21 मार्च, 2023

(प्रातः 11.00 बजे से सायं 7.03 बजे तक)

3. **प्रश्न**

(क) तारांकितः

क्रम पत्र पर कुल संख्या	उत्तरित	न पूछे गए	स्थगित किए गए	अनुपूरकों की संख्या
20	10	1	—	14

शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए समझे गए तथा उनके उत्तर सदन की मेज पर रखे गए।

(ख) अतारांकितः 5

4. **हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य तथा शिडयूल्ड कास्ट्स कमीशन के चेयरमैन का अभिनंदन।**

प्रश्नकाल के दौरान अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से प्रो. रविन्द्र बलियाला, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य तथा शिडयूल्ड कास्ट्स कमीशन के चेयरमैन जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनंदन किया।

5. **सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में सूचना देना।**

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि–

1. उन्हें श्रीमती सीमा त्रिखा, विधायक से ई–मेल के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी माता जी का निधन होने के कारण वे दिनांक 17 मार्च, 2023 से पुनः शुरू होने वाले बजट सत्र की आगामी बैठकों में पारिवारिक स्थिति को देखते हुए उपस्थित नहीं हो सकती हैं।
2. उन्हें श्रीमती शकुन्तला खटक, विधायक से दूरभाष के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वे दिनांक 21 एवं 22 मार्च, 2023 को सदन की बैठकों में उपस्थित नहीं हो सकती हैं।
3. उन्हें श्री प्रदीप चौधरी, विधायक से ई–मेल के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि निजी कारणों की वजह से वे दिनांक 21 मार्च, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

4. **राज्य में भारी बरसात और ओला वृष्टि से खराब हुई फसलों की स्पैशल गिरदावरी करवाने का मामला उठाना ।**

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री शमशेर सिंह गोगी ने हाल ही में राज्य में हुई भारी बरसात और ओला वृष्टि से खराब हुई फसलों की स्पैशल गिरदावरी करवाने का मामला उठाते हुए अध्यक्ष महोदय से मांग की कि सरकार को इस बारे में कदम उठाने चाहिएं।

मुख्यमंत्री महोदय ने सदन को बताया कि हाल ही में जो भारी बरसात और ओला वृष्टि से किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है, सरकार उसकी स्पैशल गिरदावरी करवाएगी। उन्होंने राज्य

के किसानों से भी अपील करते हुए कहा कि जिन जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है वे उसकी एंट्री 72 घंटे के अन्दर अन्दर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जरूर करें ताकि किसानों की खराब हुई फसलों का सही तरीके से मूल्यांकन करने के बाद उनको उनकी फसलों का उचित मुआवजा दिया जा सके।

5. हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक और मुकन्द लाल नैशनल कॉलेज, यमुनानगर तथा होम्योपैथिक मैडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, सैक्टर 26, चण्डीगढ़ के विधार्थियों तथा अध्यापकगण का अभिनंदन।

अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से–

(क) श्री जाकिर हुसैन, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनंदन किया।

(ख) मुकन्द लाल नैशनल कॉलेज, यमुनानगर के विधार्थी तथा अध्यापकगण जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए सदन की दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

(ग) होम्योपैथिक मैडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, सैक्टर 26, चण्डीगढ़ के विधार्थी जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए सदन की दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

6. सचिव द्वारा घोषणा।

सचिव महोदय ने घोषणा की कि हरियाणा विधान सभा ने जो हरियाणा विनियोग (संख्या–1) विधेयक 2023 को अपने फरवरी– मार्च सत्र, 2023 में पारित किया था तथा जिस पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, नेवा पोर्टल के माध्यम से सादर सदन की मेज पर रखता हूं।

7. हरियाणा विधान सभा के सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला के व्यवहार के संबंध में मामला उठाना।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री कुलदीप वत्स ने कल दिनांक 20.03.2023 को सदन में श्री अभय सिंह चौटाला द्वारा श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक के साथ किए गए व्यवहार की कड़ी निन्दा की और अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि यदि कोई सदस्य सदन में किसी दूसरे सदस्य के साथ गलत व्यवहार या गुण्डागर्दी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्य को बताया कि श्री अभय सिंह चौटाला के गलत व्यवहार के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।

8. दिनांक 21.03.2023 को सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 99 के जवाब (अनैक्श्चर सहित) की हार्ड कॉपी सदन में उपलब्ध करवाने का मामला उठाना।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री आफताब अहमद ने दिनांक 21.03.2023 को सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 99 के जवाब (अनैक्श्चर सहित) की हार्ड कॉपी सदन में उपलब्ध करवाने का मामला उठाते हुए अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि उनके इस प्रश्न के जवाब का अनैक्श्चर नेवा पोर्टल पर नहीं डाला गया है बल्कि उसमें यह लिख दिया गया है कि इस प्रश्न का

अनैक्श्चर विभाग की वैबसाईट पर उपलब्ध है। उन्होंने सरकार से मांग की कि उनके इस प्रश्न के पूरे जवाब की हार्ड कॉपी सदन में भी उपलब्ध करवाई जाए ताकि उसको पढ़ा जा सके।

मुख्यमंत्री महोदय ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए सदन को बताया कि इस प्रश्न का जवाब बहुत लंबा होने के कारण इसको वैबसाइट पर डाला गया है । उन्होंने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि इस बारे में कोई क्राइटेरिया फिक्स किया जाना चाहिए ।

उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस विषय पर अपनी बात रखी ।

9. शून्यकाल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना देना ।

अध्यक्ष महोदय ने आज शून्यकाल में भाग लेने वाले सदस्यों के नामों के बारे में सदन को सूचित किया ।

10. शून्यकाल में विभिन्न मामलों/मांगों को उठाना।

अध्यक्ष महोदय ने शून्यकाल में सदस्यों को अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विभिन्न मामलों/मांगों को उठाने की अनुमति दी। तत्पश्चात्, श्रीमती किरण चौधरी, श्री घनश्याम दास अरोड़ा, श्रीमती रेनू बाला, श्री हरविन्द्र कल्याण, श्री रणधीर सिंह गोलन, श्री इन्दुराज, श्री सुभाष सुधा, श्री प्रवीण डागर, श्री धर्मपाल गोंदर और श्री राजेश नागर ने अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विभिन्न मामले/मांगें उठाई।

11. हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री का अभिनन्दन ।

शून्यकाल के दौरान अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से श्री जसवंत सिंह बावल, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनंदन किया।

12. वर्ष 2023–24 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनरारम्भ तथा वित्त मंत्री द्वारा उस पर उत्तर देना।

वर्ष 2023–24 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनरारम्भ हुई।

मन्त्रीपक्ष के सदस्य सर्वश्री संजय सिंह तथा लक्ष्मण नापा ने क्रमशः 5 तथा 6 मिनट्स भाषण दिया।

इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य राव चिरंजीव ने 6 मिनट भाषण दिया।

निर्दलीय सदस्य श्री नयन पाल रावत ने 6 मिनट भाषण दिया।

13. बैठक का स्थगन।

उपाध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि दोपहर के भोजन अवकाश के लिए सदन 45 मिनट्स के लिए स्थगित रहेगा।

तत्पश्चात सदन मध्याह्न–पश्चात् 1:35 बजे से 45 मिनट्स के लिए स्थगित हुआ तथा मध्याह्न–पश्चात् 2:20 बजे पुनः समवेत हुआ।

(जब सदन समवेत हुआ तो श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)

14. वर्ष 2023–24 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनरारम्भ तथा वित्त मंत्री द्वारा उस पर उत्तर देना (पुनरारम्भ)।

वर्ष 2023–24 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनरारम्भ हुई।

मन्त्रीपक्ष के सदस्य सर्वश्री बिशम्बर सिंह, रामकुमार गौतम, विनोद भ्याना, घनश्याम सर्राफ, अमरजीत ढांडा, हरविन्द्र कल्याण, सीता राम यादव, सत्य प्रकाश, लीला राम, महीपाल ढांडा और रामकुमार कश्यप ने क्रमशः 7, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 7, 8 तथा 5 मिनट्स भाषण दिया।

इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य सर्वश्री अमित सिहाग, शमशेर सिंह गोगी, नीरज शर्मा, शीशपाल सिंह, बलबीर सिंह, राव दान सिंह, जगबीर सिंह मलिक तथा बिशन लाल सैनी ने क्रमशः 7, 6, 6, 5, 6, 6, 6 तथा 7 मिनट्स भाषण दिया।

निर्दलीय सदस्य श्री सोमबीर और श्री धर्मपाल गोंदर ने क्रमशः 5 और 6 मिनट भाषण दिया।

मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए 102 मिनट्स भाषण दिया।

15. राजकीय महाविद्यालय, उकलाना, जिला हिसार के विधार्थियों तथा अध्यापकगण का अभिनन्दन

वर्ष 2023—24 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से राजकीय महाविद्यालय, उकलाना, जिला हिसार के विधार्थियों तथा अध्यापकगण जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए सदन की दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनन्दन किया।

16. वर्ष 2023—24 के लिए बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को कहा कि पिछली प्रथानुसार और सदन का समय बचाने के लिए आर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांड्ज (1 से 7, 10 से 20) एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जायेंगी। माननीय सदस्यगण किसी भी डिमांड पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन बोलने से पहले वे अपनी डिमांड का नंबर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं।

इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य सर्वश्री भारत भूषण बतरा, वरूण चौधरी, आफताब अहमद, अमित सिहाग, शमशेर सिंह गोगी, नीरज शर्मा, जगबीर सिंह मलिक और राव दान सिंह नें क्रमशः 6, 3, 1, 2, 1, 2, 1 और 1 मिनट भाषण दिया।

मन्त्रीपक्ष के सदस्य श्री राम कुमार गौतम ने 2 मिनट्स भाषण दिया।

उप मुख्यमंत्री ने भी एक मिनट भाषण दिया ।

डिमांड संख्या 1 से 7 एक साथ रखी गई तथा स्वीकृत हुई।
डिमांड संख्या 10 से 20 तक एक साथ रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

17. नेवा पोर्टल के माध्यम से विधान सभा समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना।

(क) (1) लोक लेखा समिति के चेयरपर्सन (श्री वरूण चौधरी) ने वर्ष 2022—23 के लिए 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लोक लेखा समिति की 86वीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की।

(2) लोक लेखा समिति के चेयरपर्सन (श्री वरूण चौधरी) ने वर्ष 2022—23 के लिए 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लोक लेखा समिति की 87वीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की।

(ख) स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति के चेयरपर्सन (श्री नरेन्द्र गुप्ता) ने प्रधान महालेखाकार (लेखा), हरियाणा द्वारा परीक्षित वर्ष 2011—12 से 2018—19 के लिए पंचायती राज संस्थानों तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट पर स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों की समिति

तथा निदेशक, स्थानीय लेखा विभाग, हरियाणा द्वारा परीक्षित वर्ष 2015–16 के लिए शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों के खातों पर स्थानीय लेखा विभाग की वार्षिक लेखा परीक्षा की 18वीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की।

(ग) अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के चेयरपर्सन (श्री ईश्वर सिंह) ने वर्ष 2022–23 के लिए अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति की 46वीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की।

18. विधायी कार्य

(क) (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

10. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023.

सायं 6.45 बजे शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने प्रस्ताव किया–

कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 पर तुरन्त विचार किया जाए।

इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य सर्वश्री वरूण चौधरी और भारत भूषण बतरा ने क्रमशः कुछ पल के लिए और 1 मिनट भाषण दिया।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

तब विधेयक की क्लाजिज पर विचार किया गया।

क्लाज 2

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, क्लाज 2 में संशोधन के लिए प्रस्ताव किया–

क्लाज 2 की धारा 6 में,–

(i) उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(1) प्रत्येक शासकीय जनगणना के बाद, सरकार द्वारा नवीनतम जनगणना के आंकडों के आधार पर सीटों की कुल संख्या नियत की जाएगी। यदि निगम की सीमाओं में कोई क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है या निकाला जाता है या जहां ग्रामीण क्षेत्रों से मिलकर बना कोई क्षेत्र या उसका भाग, इस अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) के अधीन नए निगम, के रूप में घोषित किया जाता है, तो उस निगम की जनसंख्या, सम्पूर्ण या नए निगम के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, सीटों के पुनः नियतन के प्रयोजन के लिए अभिनिश्चित की जाएगी।"

(ii) विद्यमान व्याख्या के स्थान पर, निम्नलिखित व्याख्या प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"व्याख्या,– यहां "जनसंख्या" से अभिप्राय है, ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से यथा प्राप्त की गई जनसंख्या।"

इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य सर्वश्री वरूण चौधरी और भारत भूषण बतरा ने क्रमशः 1 और 3 मिनट्स भाषण दिया।

मन्त्रीपक्ष के सदस्य श्री नरेन्द्र गुप्ता ने 1 मिनट भाषण दिया।

अध्यक्ष महोदय ने भी इस विधेयक पर अपनी टिप्पणी करते हुए एक मिनट भाषण दिया।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने, उत्तर देते समय एक मिनट भाषण दिया ।

19. हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 को वापिस लेना।

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 की क्लाजिज पर विचार के समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री वरूण चौधरी और श्री भारत भूषण बतरा के सुझाव पर और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री तथा मुख्यमंत्री द्वारा सहमति व्यक्त करने के बाद अध्यक्ष महोदय ने सदन की राय से घोषणा की कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023 को कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से वापिस लिया जाता है ।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य डा. रघुवीर सिंह कादियान ने सरकार द्वारा इस विधेयक को कल स्थगितकरण करने और आज वापिस लेने के लिए सरकार की आलोचना की।

20. विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

11. हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023

सायं 7.00 बजे स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया–

कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023 पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

तब विधेयक की क्लाजिज पर विचार किया गया।

क्लाजिज 2 से 10 एक साथ रखी गई तथा स्वीकृत हुई ।

क्लाज 1, इनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल एक–एक करके रखे गए तथा स्वीकृत हुए।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(ख) (पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक)

2. हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023

सायं 7.02 बजे संसदीय कार्य मंत्री ने हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित किया ।

विधेयक पुरःस्थापित हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय ने मध्याह्न–पश्चात् 1:11 बजे से लेकर दोपहर के भोजन अवकाश के लिए सभा स्थगित होने तक तथा मध्याह्न–पश्चात् 3:32 बजे से लेकर सायं 4:10 बजे तक सदन की अध्यक्षता की।

अध्यक्ष महोदय ने सदन की राय से, सदन की बैठक का समय निम्नानुसार बढ़ाया–

क. सायं 6 बजे एक घंटे के लिए ।
ख. सायं 7 बजे 30 मिनट्स के लिए ।

तब सभा बुधवार, 22 मार्च, 2023 को प्रातः 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

बुलेटिन संख्या–8

बुधवार, 22 मार्च, 2023
(प्रातः 11.00 बजे से सायं 5:08 बजे तक)

6. भारतीय काल गणना के विक्रमी संवत चैत्र शुक्ल एकम नव वर्ष एवं विश्व जल दिवस के अवसर पर बधाई देना।

जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, मुख्यमंत्री महोदय ने भारतीय काल गणना के विक्रमी संवत चैत्र शुक्ल एकम नव वर्ष के अवसर पर सदन के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं और बधाई दी। मुख्यमंत्री महोदय ने विश्व जल दिवस के अवसर पर भी आज सभी को बधाई दी और निवेदन किया कि सभी को पानी के बचाव, संरक्षण, पुनरूपयोग एवं माईक्रो इरीगेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि पानी के आने वाले संकट से बचा जा सके।

अध्यक्ष महोदय ने भी सभी माननीय सदस्यों को और सभी हरियाणावासियों को विक्रमी संवत् 2080 नव वर्ष एवं विश्व जल दिवस के अवसर पर और प्रथम माँ दुर्गा के पहले नवरात्र के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी।

7. प्रश्न

(क) तारांकितः

क्रम पत्र पर कुल संख्या	उत्तरित	न पूछे गए	स्थगित किए गए	अनुपूरकों की संख्या
20	13	3	—	15

शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए समझे गए तथा उनके उत्तर सदन की मेज पर रखे गए।

(ख) अतारांकितः 4

8. हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों का अभिनंदन।

प्रश्नकाल के दौरान अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से श्री रामचन्द्र कम्बोज और श्री बहादुर सिंह, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में बैठे थे, का अभिनंदन किया।

4. बजट पर आंकड़ों से संबंधित व्हाईट पेपर जारी करने के बारे में मामला उठाना।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य डा. रघुवीर सिंह कादियान ने बजट से संबंधित इंटरनल डैब्ट, पब्लिक अकाउंटस डिपोजिटस, कॉन्टीजैन्ट लॉयबिलिटी, ऑफ बजट लॉयबिलिटी के बारे में मामला उठाया और मुख्यमंत्री से गवर्नमैंट लॉयबिलिटी के बारे में एक व्हाईट पेपर जारी करने की मांग की ताकि इस बारे में सारी बातें क्लीयर हो जाएं कि इस बारे में विपक्ष के नेता ने ठीक कहा था या मुख्यमंत्री महोदय ने कल बजट पर रिप्लाई देते हुए ठीक कहा था।

मुख्यमंत्री महोदय ने सदस्य को कहा कि चूंकि अब बजट तो पास हो चुका है इसलिए वे इस बारे में लिखित में दे दें उनको सारी जानकारी व्यक्तिगत रूप से 15 दिन के अन्दर अन्दर दोबारा से दे दी जाएगी ।

5. **सुपर्शव जैन बाल सदन स्कूल, कैथल के विधार्थियों तथा स्टाफ का अभिनंदन।**

अध्यक्ष महोदय ने सदन की ओर से सुपर्शव जैन बाल सदन, कैथल के विधार्थी तथा स्टाफ, जो सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे थे, का अभिनंदन किया।

6. **सदस्यों की अनुपस्थिति के संबंध में सूचना देना।**

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि–

(क) उन्हें श्री अनिल विज, माननीय गृह मंत्री, हरियाणा से पत्र के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अस्वस्थ होने के कारण वे आज दिनांक 22 मार्च, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(ख) उन्हें श्री बिशम्बर सिंह, विधायक से पत्र के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे जरूरी कार्यों के कारण दिनांक 22 मार्च, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(ग) उन्हें डा. कृष्ण लाल मिड्ढा, विधायक से पत्र के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे घर पर जरूरी काम होने के कारण दिनांक 22 मार्च, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

(घ) उन्हें श्री कुलदीप वत्स, विधायक से ई–मेल के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तबीयत खराब होने के कारण वे दिनांक 22 मार्च, 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

7. **नियम 15 के अधीन प्रस्ताव**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया–

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम ''सभा की बैठकें'' के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

8. **नियम 16 के अधीन प्रस्ताव**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया–

कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

प्रस्ताव रखा गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

9. **शून्यकाल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना देना ।**

अध्यक्ष महोदय ने आज शून्यकाल में भाग लेने वाले सदस्यों के नामों के बारे में सदन को सूचित किया ।

10. **सरदार भगत सिंह, सुखदेव सिंह तथा राजगुरू को शहीद का दर्जा देने का मामला उठाना।**

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री अमित सिहाग ने दिनांक 23.03.2023 को शहीदी दिवस के अवसर पर सरदार भगत सिंह, सुखदेव सिंह तथा राजगुरू को शहीद का दर्जा देने की

मांग करते हुए कहा कि इस सदन को सर्वसम्मति से इस बारे में एक रैजोल्यूशन पास करना चाहिए।

11. शून्यकाल में विभिन्न मामलों/मांगों को उठाना।

अध्यक्ष महोदय ने शून्यकाल में सदस्यों को अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विभिन्न मामलों/मांगों को उठाने की अनुमति दी। तत्पश्चात्, सर्वश्री सोमबीर सांगवान, सत्य प्रकाश, जगदीश नायर, भव्य बिश्नाई, बलबीर सिंह, नयनपाल रावत, लक्ष्मण नापा, लक्ष्मण सिंह यादव, श्रीमती किरण चौधरी, जगबीर सिंह मलिक, मो0 इलियास और नीरज शर्मा ने अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विभिन्न मामले/मांगें उठाई।

12. बैठक का स्थगन।

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि दोपहर के भोजन अवकाश के लिए सदन एक घंटे के लिए स्थगित रहेगा।

तत्पश्चात सदन मध्याहन–पश्चात् 1:17 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुआ तथा मध्याह्न–पश्चात् 2:17 बजे पुनः समवेत हुआ।

(जब सदन समवेत हुआ तो श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)

13. ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के बारे में सूचना देना।

जब इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री आफताब अहमद तथा उनकी पार्टी के कुछ सदस्यों ने उनके द्वारा दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाओं का परिणाम जानना चाहा तो अध्यक्ष महोदय ने उन्हें सूचित किया कि इस बारे में सदन को पहले ही सूचित कर दिया गया है लेकिन श्री आफताब अहमद और उनकी पार्टी के अन्य सदस्य अध्यक्ष महोदय के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और लगातार अध्यक्ष महोदय से इस विषय को लेकर तर्क वितर्क करते रहे तथा सदन की कार्यवाही को बाधित करते रहे । अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को फिर से संतुष्ट करने का प्रयास किया और यहां तक कि उन्होंने इस बारे नियमों का भी हवाला दिया ।

14. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य ।

"नारनौल, महेन्द्रगढ़ तथा चरखी–दादरी समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में खराब मौसम के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई सरसों की फसल से संबंधित"

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि उन्हें श्री बलराज कुण्डु, विधायक से नारनौल, महेन्द्रगढ़ तथा चरखी–दादरी समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में खराब मौसम के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई सरसों की फसल से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 प्राप्त हुई है, जिसे उन्होंने स्वीकृत कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 48, जो कि श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण उन्होंने इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ जोड़ दिया है। श्रीमती किरण चौधरी, विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 54, जो कि राव दान सिंह तथा पांच अन्य विधायक सर्वश्री जगबीर सिंह मलिक, आफताब अहमद, मामन खान, चिरंजीव राव तथा शीशपाल सिंह द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण उन्होंने इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ जोड़ दिया है। राव दान सिंह, विधायक प्रथम हस्ताक्षरी होने के कारण चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 74 एवं 75, जो कि क्रमशः श्री नीरज शर्मा एवं श्री सत्य प्रकाश, विधायकों द्वारा दी गई हैं, समान विषय का होने के कारण उन्होंने इनको ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ जोड़ दिया है। ये दोनो विधायक भी चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 76 एवं 77, जो कि क्रमशः राव चिरंजीव एवं राव दान सिंह, विधायकों द्वारा दी गई हैं, समान विषय का होने के कारण उन्होंने इनको ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ जोड़ दिया है। ये दोनों विधायक ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 54 में भी हस्ताक्षरी हैं।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को आगे सूचित किया कि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 79 जो कि श्री जगदीश नायर एवं श्री प्रवीण डागर, विधायकों द्वारा दी गई हैं, समान विषय का होने के कारण उन्होंने इसको ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 2 के साथ जोड़ दिया है। ये दोनों विधायक भी चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

उन्होने आगे श्री बलराज कुण्डु, विधायक से अपनी सूचना पढ़ने तथा इसके बाद संबंधित मंत्री से इस बारे में वक्तव्य देने के लिए कहा।

श्री बलराज कुण्डु ने अपनी सूचना पढ़ी।

तब उप मुख्यमंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया।

15. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर कागज–पत्र रखना।

संसदीय कार्यमंत्री ने क्रम संख्या 1 से 9 तक कागज–पत्र सदन की मेज पर रखे।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य श्री वरूण चौधरी ने भी इस बारे में 1 मिनट भाषण दिया।

16. नेवा पोर्टल के माध्यम से विधान सभा समितियों की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना।

(क) अधीनस्थ विधान समिति के चेयरपर्सन (श्री राम निवास) ने वर्ष 2022–2023 के लिए अधीनस्थ विधान समिति की 50वीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की।

(ख) लोक उपक्रमों संबंधी समिति के चेयरपर्सन (श्री असीम गोयल) ने वर्ष 2022–23 के लिए लोक उपक्रमों संबंधी समिति की 69वीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की।

(ग) प्राक्कलन समिति के चेयरपर्सन (श्री हरविन्द्र कल्याण) ने वर्ष 2022–23 के लिए प्राक्कलन समिति की 50वीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की।

(घ) जन स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति के चेयरपर्सन (श्री दीपक मंगला) ने वर्ष 2022–23 के लिए जन स्वास्थ्य, सिंचाई,

बिजली तथा लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) सम्बन्धी विषय समिति की 10वीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की।

(ड़) याचिका समिति के चेयरपर्सन (श्री घनश्याम दास अरोड़ा) ने वर्ष 2022–23 के लिए याचिका समिति की 12वीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की।

(च) शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं सम्बन्धी विषय समिति के सदस्य (श्री जगदीश नायर) ने वर्ष 2022–23 के लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं विभाग पर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाएं सम्बन्धी विषय समिति की 8वीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की।

(छ) सरकारी आश्वासनों से सम्बन्धित समिति के चेयरपर्सन (श्री भारत भूषण बतरा) ने वर्ष 2022–23 के लिए सरकारी आश्वासनों से सम्बन्धित समिति की 52वीं रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की।

17. सरकारी प्रस्ताव–

Regarding the objection on Levy of water cess by the Govt. of Himachal Pradesh on the Hydro Power Projects.

मध्याह्न पश्चात् 3:15 बजे मुख्यमंत्री महोदय ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत कियाः–

"1.0 This House is concerned about the ordinance issued by the Govt. of Himachal Pradesh (Ordinance No.2 of 2023) to impose water cess on the Hydro power projects for non consumptive use of water for Power generation (Annexure A). The Himachal Pradesh states water resources are now the Governments' property, while any proprietary, riparian, or usage rights with any individual, Group, company, corporation, society or community are deemed to have been terminated.

2.0 The House acknowledges and recognizes the right of the state of Haryana over the use of water flowing into the State for all purposes. All the BBMB projects which have since been constructed with investment made by the State of Haryana with other partner States, largely happened to be situated within the territory jurisdiction of the State of Himachal Pradesh. With this new levy of water cess, the Govt. of HP is trying to put additional tax burden on the State of Haryana as it is evident from the objective of the ordinance. With this new levy there will be an additional financial burden amounting to Rs.1200 Cr. Per annum on partner states out which around Rs.336 Cr. will be burden on State of Haryana. This new levy is not only infringement of the exclusive rights of the State over its natural resources but will also result in additional financial burden for generation of power resulting in the higher cost of generation of electricity. The levy of water cess by Govt. of Himachal Pradesh is against the provision of the Inter State Water Dispute Act, 1956. The State of Haryana through the

Bhakra Beas Management Projects is already liberal to release 7.19% of electricity of the composite Share of Haryana and Punjab to Himachal Pradesh.

3.0 This House very strongly and unanimously resolves that this levy of water cess imposed by the Govt. of Himachal Pradesh is illegal, not binding upon the State of Haryana. This Ordinance should be withdrawn immediately by the State Government of Himachal Pradesh. This House also requests the Govt. of India to use its good offices to prevail upon the State Govt. of Himachal Pradesh to withdraw the Ordinance as the same is in violation of the Central Act i.e. Inter State Water Disputes Act, 1956.”

और 3 मिनट्स भाषण दिया।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के श्री भारत भूषण बतरा और श्रीमती किरण चौधरी ने भी इस प्रस्ताव पर बोलते हुए क्रमशः 1 मिनट और कुछ पल के लिए भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और यथासंशोधित सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

18. विधायी कार्य–

(क) (पुरःस्थापित, विचार तथा पारित किया जाने वाला विधेयक)

हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023

3:23 बजे मध्याह्न–पश्चात् मुख्यमंत्री ने हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023 प्रस्तुत किया तथा यह भी प्रस्ताव किया–

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023 पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

तब विधेयक की क्लाजिज पर विचार किया गया।

क्लाज 2, क्लाज 3, शिड्यूल, क्लाज 1, इनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल एक–एक करके रखे गए तथा स्वीकृत हुए।

मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(ख) (विचार तथा पारित किया जाने वाला विधेयक)

हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023.

3:26 बजे मध्याहन–पश्चात् मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया–

कि हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 पर तुरन्त विचार किया जाए।

इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्रीमती किरण चौधरी, श्री वरूण चौधरी, श्री शमशेर सिंह गोगी, श्री जगबीर सिंह मलिक और श्री भारत भूषण बतरा ने क्रमशः 6, 4, 7, 3 और 11 मिनट्स भाषण दिया।

मंत्रीपक्ष के सदस्य डा. अभय सिंह यादव ने 3 मिनट्स भाषण दिया ।

उप मुख्यमंत्री तथा उर्जा मंत्री ने क्रमशः 2 और 1 मिनट भाषण दिया ।

मुख्यमंत्री महोदय ने उत्तर देते समय 26 मिनट्स भाषण दिया ।

19. बैठक का स्थगन।

जब इस विधेयक पर इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य विचार की स्टेज पर बोल रहे थे तो उस समय श्री शमशेर सिंह गोगी ने बोलते हुए इस विधेयक का विरोध किया और कहा कि अब पूरी पार्टी भी इस विधेयक का विरोध करेगी । उन्होने सरकार के बारे में भी कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे जिन्हें अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही से निकलवा दिया । मुख्यमंत्री महोदय ने श्री शमशेर सिंह गोगी से जानना चाहा कि क्या आप इस विधेयक के संबंध में गैंगस्टर्ज के साथ हैं या सरकार के साथ हैं। इस पर इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के कई सदस्यों ने मुख्यमंत्री की भाषा पर कड़ा एतराज जताया और अध्यक्ष महोदय से मांग की कि मुख्यमंत्री महोदय को अपने शब्द वापस लेने चाहिएं। मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यदि शमशेर सिंह गोगी अपने कहे हुए शब्द वापिस ले लेते हैं तो मैं भी अपने शब्द वापिस ले लूंगा लेकिन फिर भी इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विपक्ष के बारे में कही गई भाषा को सदन की कार्यवाही से निकलवाने की अपनी मांग को लगातार दोहराते रहे । मुख्यमंत्री ने बार बार कहा कि वे पूरे विपक्ष को नहीं बल्कि केवल श्री शमशेर सिंह गोगी को ही सम्बोधित करते हुए कह रहे थे कि आप गैंगस्टर्ज के साथ हो या सरकार के साथ हो क्योंकि उन्होंने ही इस विधेयक का विरोध करते हुए यह कहा था कि वे भी इसका विरोध करते हैं और पूरी पार्टी भी इस विधेयक का विरोध करेगी लेकिन विपक्ष के सदस्य अपनी मांग पर अड़े रहे और यहां तक कि इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य सदन की वैल में आकर अध्यक्ष महोदय से इस बारे में तर्क वितर्क करने लगे । अध्यक्ष महोदय ने उनसे कहा कि वे अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठें । कुछ समय बाद सदन की वैल में आए हुए सभी सदस्य अपनी अपनी सीटों पर चले गए ।

जब इस विषय पर काफी देर तक विपक्ष के सदस्यों और मंत्रीपक्ष के सदस्यों के बीच तर्क वितर्क चलता रहा तो अंत में मुख्यमंत्री महोदय ने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि वे 10 मिनट के लिए सदन स्थगित कर दें और अपने चैम्बर में इस विषय से सम्बन्धित रिकार्डिंग सुन लें ताकि सारी बातें क्लीयर हो जाएं ।

विपक्ष की और सत्तापक्ष के सदस्यों की बातें सुनने के बाद अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि अब सदन 15 मिनट्स के लिए स्थगित किया जाता है ।

तत्पश्चात् सदन सांय 4:29 बजे 15 मिनट्स के लिए स्थगित हुआ तथा सायं 4:44 बजे पुनः समवेत हुआ।

(जब सदन समवेत हुआ तो श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

सायं 4:44 बजे जब सदन पुनः समवेत हुआ तो उपाध्यक्ष महोदय ने सदन पुनः 15 मिनट्स के लिए स्थगित किया।

तत्पश्चात सदन सांय 4:44 बजे 15 मिनट्स के लिए फिर स्थगित हुआ तथा सायं 4:59 बजे पुनः समवेत हुआ।

(जब सदन समवेत हुआ तो श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)

20. मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 पर चर्चा के दौरान कहे गए शब्दों को वापिस लेने की सूचना देना ।

जैसे ही सदन समवेत हुआ, अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधेयक पर विचार के समय उत्तर देते हुए सदन में अपने जो विचार व्यक्त किए थे उनको सुनने के बाद यह देखने को मिला है कि उन्होंने पूरी पार्टी के लिए नहीं कहा था लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री महोदय ने बड़प्पन दिखाते हुए जो इस बारे में शब्द कहे थे उनको उन्होंने विदड्रा कर लिया है इसलिए इस बारे में उनके द्वारा कहे गए शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

21. विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 (पुनरारम्भ)

अध्यक्ष महोदय ने प्रश्न किया–

कि हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

तब विधेयक की क्लाजिज पर विचार किया गया।

सब क्लाज 2 ऑफ क्लाज 1 रखी गई ।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के श्री भारत भूषण बतरा ने कुछ पल के लिए भाषण दिया ।

सब क्लाज 2 ऑफ क्लाज 1 स्वीकृत हुई ।

सब क्लाज 3 ऑफ क्लाज 1, क्लाज 2 एक एक करके रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

क्लाज 3

मुख्यमंत्री महोदय ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 की क्लाज 3(2) में संशोधन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव किया–

हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 की क्लाज 3(2) की पहली लाइन में **"Advocates"** शब्द के स्थान पर **"Supports"** शब्द प्रविष्ट किया जाए ।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य श्रीमती किरण चौधरी तथा श्री भारत भूषण बतरा ने बोलते हुए क्रमशः 1 मिनट तथा कुछ पल के लिए भाषण दिया।

मुख्यमंत्री महोदय ने भी कुछ पल के लिए भाषण दिया ।

प्रस्ताव रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 3, यथासंशोधित, रखी गई तथा स्वीकृत हुई ।

क्लाजिज 4 से 30 एक साथ रखी गई तथा स्वीकृत हुई ।

सब क्लाज 1 आफ क्लाज 1, इनैक्टिंग फार्मूला तथा टाइटल एक–एक करके रखे गए तथा स्वीकृत हुए।

मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया–

कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

यथासंशोधित प्रस्ताव रखा गया तथा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

22. अध्यक्ष महोदय तथा मुख्यमंत्री महोदय द्वारा धन्यवाद ।

सदन के अनिश्चित काल तक स्थगित होने से पहले, अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदन के सभी सदस्यों का सहयोग देने के लिए धन्यवाद किया । उन्होंने राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हरियाणा की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023–2024 का जो बजट प्रस्तुत किया, उसके लिए भी उनका आभार प्रकट किया ।

उन्होंने प्रैस के प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों तथा हरियाणा विधान सभा के अधिकारियों/कर्मचारियों का भी वर्तमान सत्र को सुचारू रूप से संचालन में सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त किया । इसके अलावा उन्होंने बजट पर विभागों से सम्बन्धित स्थाई समितियों के सुचारू कार्य एवं मार्गदर्शन करने के लिए संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लोक सभा द्वारा दिनांक 6 मार्च, 2023 को दिए गए प्रशिक्षण के लिए भी प्राइड के अधिकारियों का भी विशेष रूप से धन्यवाद प्रकट किया ।

मुख्यमंत्री महोदय ने भी बजट सत्र के दौरान सभी सदस्यों का सहयोग देने के लिए धन्यवाद और आभार प्रकट किया ।

तब सभा अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुई।

....